

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2013—चैत्र 29, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. एफ 1(ए)253-88-ब-2-दो.—डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु., भोपाल को दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2013 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 13, 14, 19, 20 एवं 21 अप्रैल 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पु. मु., भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस

महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013

फा. क्र. 17(ई)55-2002-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्री शिवचरण पाण्डे, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन की सेवाएं, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 02), राज्य शासन, श्री सुनीत अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला नई दिल्ली है। उसकी जन्मतिथि 06 जून, 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 09), राज्य शासन, श्री रोहित सक्सेना पिता श्री गोपाल सक्सेना को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सवाई-माधोपुर (राजस्थान) है। उसकी जन्मतिथि 03 अक्टूबर, 1989 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 14), राज्य शासन, सुश्री विश्वेश्वरी शुक्ला पिता श्री विजय कुमार शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर है। उसकी जन्मतिथि 20 अक्टूबर, 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 17), राज्य शासन, श्री वरूण कुमार शर्मा पिता श्री अरूण कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बरेली (उ.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 14 सितम्बर, 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 40), राज्य शासन, सुश्री नमिता चौधरी पिता श्री महेश चन्द्र चौधरी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड है। उसकी जन्मतिथि 09 अगस्त, 1988 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 53), राज्य शासन, श्री प्रदीप सोनी पिता श्री रमेश चन्द्र सोनी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 17 फरवरी, 1979 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 55), राज्य शासन, श्री जितेन्द्र मेहर पिता श्री नरेन्द्र मेहर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन है। उसकी जन्मतिथि 30 सितम्बर, 1980 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

फा. क्र. 1(बी)13-2004-इक्कीस-ब(दो).— राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2004 के द्वारा श्री शिवनारायण राठौर, शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, जिला शाजापुर को नियुक्त किया गया था.

श्री शिवनारायण राठौर, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला शाजापुर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013

एफ. क्र. 6-4-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कालम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए गठन करती है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कालम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व-जिला)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उज्जैन	उज्जैन	1. श्री जितेन्द्र अग्रवाल 2. श्री मोहन खंडेलवाल 3. श्री संजय सक्सेना 4. श्रीमती मीरा जैन 5. श्रीमती विद्या व्यास
			अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य

No. F-No.-6-4-13-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ujjain	Ujjain	1. Shri Jitendra Agarwal 2. Shri Mohan Khandelwal 3. Shri Sanjay Saxena 4. Smt. Meera Jain 5. Smt. Vidhya Vyas
			Chair person Member Member Member Member

एफ. क्र. 6-5-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिए करती है, और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अ. क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	शिवपुरी	शिवपुरी	1. श्रीमती सरला वर्मा	सदस्य
			2. श्री रंजीत गुप्ता	सदस्य

No. F-No.-6-5-13-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Shivpuri	Shivpuri	1. Smt. Sarla Verma	Member
			2. Shri Ranjeet Gupta	Member

एफ. एन. 6-5-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कालम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए गठन करती है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कालम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व-जिला)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	शिवपुरी	शिवपुरी	1. श्री जिनेन्द्र कुमार जैन	अध्यक्ष
			2. श्रीमती उमा मिश्रा	सदस्य
			3. श्री रवि गोयल	सदस्य
			4. श्री विनय राहुरीकर	सदस्य
			5. श्री दीपक कुमार शिवहरे	सदस्य

No. F-N-6-5-13-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shivpuri	Shivpuri	1. Shri Jinendra Kumar Jain 2. Smt. Uma Mishra 3. Shri Ravi Goyal 4. Shri Vinay Rahurikar 5. Shri Deepak Kumar Shivhare
			Chair person Member Member Member Member

एफ. एन. 6-6-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अ. क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मण्डला	मण्डला	1. श्रीमती अर्चना जैन 2. श्री शैलेश दुबे
			सदस्य सदस्य

F-No.-6-6-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mandla	Mandla	1. Smt. Archana Jain 2. Shri Shilesh Dubey
			Member Member

एफ. एन. 6-6-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके

(अनुसूची के) कालम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए गठन करती है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कालम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले (राजस्व-जिला)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मण्डला	मण्डला	1. श्रीमती माधुरी बाजपेयी 2. श्रीमती मंजू कछवाहा 3. सुश्री शशी पटेल 4. सुश्री निशा सिंह 5. श्रीमती इंदिरा विश्वकर्मा
			अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य

F-No.-6-6-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mandla	Mandla	1. Smt. Madhuri Bajpai 2. Smt. Manju Kachwaha 3. Ms. Shashi Patel 4. Ms. Nisha Singh 5. Smt Indra Vishwakarma
			Chair person Member Member Member Member

एफ. एन. 6-7-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कालम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए गठन करती है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कालम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व-जिला)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	राजगढ़	राजगढ़	1. श्री लोकेश शर्मा 2. श्रीमती शशिबाला शर्मा 3. श्री हीरालाल मालवीय
			अध्यक्ष सदस्य सदस्य

F-No.-6-7-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rajgarh	Rajgarh	1. Shri Lokesh Sharma 2. Smt. Shashibala Sharma 3. Shri Heeralal Malviya
			Chair Person Member Member

एफ. एन. 6-8-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अ. क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	सामाजिक कार्यकर्ता का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दतिया	दतिया	1. श्रीमती नीलम खरे
			सदस्य

F-No.-6-8-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Worker
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Datia	Datia	1. Smt. Neelam Khare
			Member

एफ. एन. 6-8-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कालम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए गठन करती है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कालम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्ति को नियुक्त करती है:—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व-जिला)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दतिया	दतिया	1. डॉ. अरुण दाधीच
			अध्यक्ष

F-No.-6-8-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively, thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Worker
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Datia	Datia	1. Dr. Arun Dadhich Chair person

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब-(एक)-1347-2013.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गयी थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 34 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“34.	खण्डवा पूर्व निमाड़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा	सिविल जिला खण्डवा का समस्त विद्युत् क्षेत्र.”

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B (1)-1347-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification in the table, for serial number 34 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“34.	Khandwa East Nimar	Ist Additional Sessions Judge, Khandwa.	All Electricity Area of Civil District Khandwa.

Note.—The pending cases of the Sepecial Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial Jurisdiction.

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक)-1162-2013.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 53 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“53.	कुमारी सुनीता सिरिल बरलो, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर.”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No.-1-6-89-XXI-B(1)-1162-2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(1), dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated the 17th April 1998, namely:—

AMENDMENT

In the said notification in the Schedule, for serial numbers 53 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No. (1)	Name and Designation of the Judge (2)	Special Court (3)	Local Area Session Divisions (4)
“53.	Ku. Sunita Ciril Barlow Ist Additional Sessions Judge, Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur.”

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

क्र. 2761-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2013

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 मार्च 2013

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक 1) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू-अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ-82-2011-12

अनुबंध-पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशित भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में "मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 9, इमामबाड़ा रोड, नागपुर-440018) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का-1 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है जिसकी ओर से "मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड" की ओर से संचालकगण, (1) श्री कमल पिता शिवकिशन अग्रवाल निवासी-918, शिवविला देशपाण्डे ले-ऑऊट वर्धमान नगर नागपुर महाराष्ट्र, (2) श्री संजय पिता पुरणमल अग्रवाल, निवासी-प्लाट नं. 26 भगवाघर ले-ऑऊट धरमपेठ नागपुर महाराष्ट्र, (3) श्री महेश पिता कैलाशचन्द्र अग्रवाल निवासी-प्लाट नं. 301 हरे कृष्णा इन्क्लेक्, रामदासपेठ नागपुर महाराष्ट्र, के मध्य आज दिनांक 22 मार्च 2013 को संपादित किया जा रहा है.—

- मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन ट्रायफेक भोपाल, के लिये हुये करार (एम. ओ. यू.) "मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 9, इमामबाड़ा रोड, नागपुर-440018) को छिन्दवाड़ा जिले की तहसील-सौंसर के ग्राम-कोदाडोंगरी बी.1, कोदाडोंगरी बी. 2, कोदाडोंगरी दवामी, कोदाडोंगरी मालगुजारी, दुधालाखुर्द, सावंगा, सातनूर, खापाकरीमवार, कुल 08 ग्रामों की निजी भूमि रकबा 430.665 हेक्टेयर के मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड द्वारा मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक झोन (एस. ई. झेड) की स्थापना के लिये परिशिष्ट-1 उल्लेखित ग्रामों की निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं परिशिष्ट-2 में उल्लेखित समुदाय वर्ग के भूमिस्वामियों की राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि तथा उक्त भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है.—

परिशिष्ट-1

क्र.	ग्राम का नाम	अधिग्रहण हेतु कुल रकबा (हेक्टेयर में)	एकल खाते	संयुक्त खाते	कुल खाते
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोदाडोंगरी बी. 1	7.720	3	1	4
2	कोदाडोंगरी बी. 2	24.065	10	4	14
3	कोदाडोंगरी दवामी	22.706	7	6	13
4	कोदाडोंगरी मालगुजारी	67.900	37	10	47
5	दुधालाखुर्द	96.900	37	19	56
6	सावंगा	56.927	15	14	29
7	सातनूर	66.629	31	15	46
8	खापाकरीमवार	87.818	47	13	60

430.665

187

82

269

परिशिष्ट-2
समुदाय वर्ग वर्गीकरण

क्र.	अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित ग्राम का नाम	सामान्य वर्ग कृषक भूमिस्वामियों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग कृषक भूमिस्वामियों की संख्या	अनुसूचित जाति कृषक भूमिस्वामियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति कृषक भूमिस्वामियों की संख्या	कुल समुदाय वर्गीकरण कृषक भूमिस्वामियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कोदाडोंगरी बी. 1	-	02	01	01	4
2	कोदाडोंगरी बी. 2	-	09	-	05	14
3	कोदाडोंगरी दवामी	-	07	04	02	13
4	कोदाडोंगरी मालगुजारी	-	27	20	-	47
5	दुधालाखुर्द	01	06	03	46	56
6	सावंगा	02	26	03	-	31
7	सातनूर	05	29	09	01	44
8	खापाकरीमवार	04	40	10	06	60
योग . .		12	146	50	61	269

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन ट्रायफेक, भोपाल के मध्य "विशेष आर्थिक क्षेत्र" की स्थापना के लिये हुये अनुबंध करार (एम. ओ. यू.) "मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 9, इमामबाड़ा रोड, नागपुर-440018) द्वारा मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एस. ई. झेड.) की स्थापना के लिये दिनांक 27-10-2007 को निष्पादन किया गया है. आवेदक कंपनी के लिये संचालित (एस. ई. झेड.) Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना का कार्य लोक प्रायोजित संकर्म स्थापित करने के लिये आवश्यक है कंपनी का उद्देश्य लोक प्रयोजन की श्रेणी में आता है, और आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जाने वाली उपरोक्त दर्शित ग्रामों की प्रस्तावित निजी भूमि आवश्यकता से अधिक बिलकुल नहीं है. पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली के मापदण्ड अनुसार ही निम्नानुसार अधिग्रहण किया जा रहा है. परियोजना में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अपेक्स समिति के तहत निर्णय हुआ था, कि इस हेतु भू-अर्जन किया जाये. इस हेतु भूमि का एकचक्र होकर भूमि अर्जित की जाये एवं उसके लिये राज्य शासन के पुनर्वास नीति के 2002 के तहत सारी सुविधा दी जाये एवं उपरोक्त कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को भेजा जाये. Multi-Product Special Economic Zone स्थापना की योजना राज्य शासन द्वारा नियम 5 जी. के रूप में लोकोपयोगी सेवा घोषित की जाने हेतु शासन द्वारा अनुशंसा की गई है. शासन द्वारा स्टॉम्प ड्यूटी से छूट, आर्थिक सुविधाएं एवं लोक प्रयोजन के कारण दी गई है. आवेदक कंपनी द्वारा उल्लेखित है कि अन्य राज्यों में (एस. ई. जेड.) Multi-Product Special Economic Zone की योजना के अंतर्गत भूमि अर्जित की जाने की अनुमति दी गई है. उपरोक्त के आधार पर ही भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है. उक्त परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है.

3. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. D.M.3511/2559/11/ सात-02-एफ, भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही के संबंध में दिनांक 18 अगस्त 2011 को आयोजित शीर्ष स्तरीय संवर्धन साधिकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार एवं पत्र पृष्ठांकन क्र. एफ.-16-18/2009/सात/02 भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013 के अंतर्गत भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत निजी भूमि के अर्जन हेतु भू-अर्जन समिति की बैठक दिनांक 02 मार्च 2013 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-153/95/एक/4, दिनांक 07 दिसम्बर 1995 द्वारा गठित भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन बने भू-अर्जन कंपनी अधिनियम, 1963 के नियम 3 में गठित 3 भू-अर्जन समिति की बैठक प्रमुख सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02 मार्च 2013 को सम्पन्न हुई. उपरोक्त गठित समिति की बैठक की कार्यवाही बिन्दु क्र. 08 के संबंध में दिनांक 02 मार्च 2013 को आयोजित शीर्ष स्तरीय संवर्धन साधिकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार संक्षेपिका मंत्री परिषद् के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 11 मार्च 2013 को भेजी गई है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है।

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि.—(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।

1. आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में की गई घोषणा एवं सहमति के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक कृषकों की अर्जित की जाने वाली भूमि का मुआवजा दर 05.00 पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रदाय किया जावेगा।
2. आदर्श पुनर्वास नीति 2002 के बिन्दु क्रमांक-6.1 के अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने के एवज में प्रभावित परिवार को 15 पन्द्रह हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से फसल क्षतिकर के रूप में 30 (तीस) वर्षों के लिये एक हजार रुपये प्रति वर्ष वृद्धि के साथ कंपनी द्वारा राशि प्रदाय की जावेगी। विस्थापन की स्थिति में प्रभावित प्रत्येक परिवार को पुनर्वास नीति के तहत पुनर्स्थापित कराया जावेगा।

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा। अर्थात् कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति में की गई घोषणा के अनुसार प्रभावित परिवार के योग्य व्यक्ति को स्थापित उद्योग में स्थाई रोजगार प्रदाय किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास अनुदान सहायता राशि प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्रदाय की जावेगी, साथ ही ग्राम के समुचित विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार आदि के अवसर उपलब्ध कराये जावेंगे, और ग्राम के वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, शिक्षा शिष्यावृत्ति आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेंगी।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा।

1. छिन्दवाड़ा जिले की तहसील सौंसर के ग्राम कोदाडोंगरी बी. 1, कोदाडोंगरी बी. 2, कोदाडोंगरी दवामी, कोदाडोंगरी मालगुजारी, दुधालाखुर्द, सावंगा, सातनूर, खापाकरीमवार, गोंडीवाढोना कुल 09 ग्रामों की निजी भूमि रकबा 638.249 हेक्टेयर के मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड द्वारा मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एस. ई. झेड.) की स्थापना के लिये उद्योगों एवं संकर्मों के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 02 मार्च 2013 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004 के पत्र क्र. एफ-16-01/2013/सात/2 ए भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है। किन्तु गोंडीवाढोना जलाशय निर्माण के लिये मध्यप्रदेश राज्य शासन जल संसाधन विभाग द्वारा जलाशय निर्माण के लिये प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने के फलस्वरूप ग्राम गोंडीवाढोना की प्रस्तावित भूमि रकबा 207.584 हेक्टेयर को फिलहाल भू-अर्जन के लिये इस अनुबंध में शामिल नहीं किया जा रहा है।

- (i) भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-2007) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें लागू होंगे। जिसका पूर्णतः पालन करते हुये पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही की जाए। संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति, 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जाएगी। मान. मुख्यमंत्रीजी की मुआवजा के संबंध में की गई घोषणा की दृष्टिगत रखते हुए पुनर्वास पैकेज में अतिरिक्त पुनर्वास योजना दिये जाने हेतु प्रावधान किया जाएगा। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा उन्हें प्रस्तुत पुनर्वास प्रस्ताव पर अपने अभिमत सहित आयुक्त के माध्यम से वर्तमान आदेश जारी करने से अनिवार्यतः दो माह में शासन को प्रस्तुत करें। शासन द्वारा लिया गया निर्णय कंपनी के लिये बाध्यकारी होगा।

- (ii) भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर संभावित राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाए।

- (iii) संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.
- (iv) कंपनी के संबंध में करारनामा, बचन-बद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये जिला कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
- (v) भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जाना होगा.
- (vi) अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
- (vii) भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग कंपनी द्वारा किया जाएगा.
- (viii) भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के लिये निस्तार आदि का ध्यान रखा जाएगा.
- (ix) कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार भू-अर्जन अधिनियम की धारा 44-क के तहत राज्य शासन की अनुमति के बगैर नहीं होगा.
- (x) यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार देय नहीं होगा.
- (xi) भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
- (xii) पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
- (xiii) कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जाएगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उन्हें प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जाएगा.

विशेष शर्तें.—

- (xiv) भू-अर्जन की कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाए कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो PESA ACT के प्रावधान अनुसार ग्राम सभा से राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12-46/97/सात-9, भोपाल, दिनांक 31-01-2000 के अनुसार में परामर्श किया जाए.
- (xv) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (Sanctuary) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

धारा 41 के अन्तर्गत करार में उपबंधित किए जाने वाले विषय.—(1) अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट करार के निबंधन निम्नानुसार विषयों को शामिल करेंगे, नामतः—

- (i) यह कि कंपनी समुचित सरकार की पूर्वअनुज्ञा के सिवाय, उसके अलावा जिसके लिये इसका अर्जन किया गया है, अन्य प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग नहीं करेगी.

- (ii) यह कि समय जिसके भीतर निवास गृहों अथवा इससे सीधे तौर पर संबंध सुख सुविधाओं को परिनिर्मित किया जाएगा, अथवा उपबंधित किया जाएगा, अथवा भवन के कार्य का निर्माण किया जाएगा, अथवा निष्पादित किया जाएगा, कंपनी को भूमि अंतरण की दिनांक से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा.
- (iii) यह कि जहां समुचित सरकार की ऐसी जांच करने के उपरांत जो यह आवश्यक समझे संतुष्टि हो जाती है, कि कंपनी इसके नियंत्रण से परे कारणों से निवास गृहों अथवा सुख-सुविधाओं अथवा किसी भवन निर्माण या कार्य को परिनिर्मित करने उपबंधित करने निर्माण करने अथवा निष्पादित करने से करार में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तावित कर दी गई थी, को समुचित सरकार उस प्रयोजन के लिये एक समय में एक वर्ष से अनाधिक अवधि के समय का विस्तार कर सकेगी. यद्यपि विस्तार की कुल अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी.
- (iv) यह कि यदि कंपनी करार में उपबंधित शर्तों में से किसी का उल्लंघन करती है, तो समुचित सरकार कंपनी को भूमि अंतरण करने की घोषणा के आदेश को अकृत्त और शून्य कर सकेगी, जिस पर भूमि समुचित सरकार को वापिस प्रतिवर्तित हो जाएगी, और यह निर्देशित करते हुए कि अधिनियम की धारा 41 के खण्ड (1) के अन्तर्गत अर्जन की लागत के रूप में समुचित सरकार को कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि के एक चौथाई से अनाधिक राशि को समुचित सरकार द्वारा समपहृत किया जायेगा, और शेष की कंपनी को वापिस लौटाया जाएगा, आदेश कर सकेगी, और इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम और बंधनकारी होगा.
- (v) यह कि, कंपनी मात्र भूमि के एक भाग को उस प्रयोजन के लिये जिसके लिए इसकी अपेक्षा की गई थी. उपयोगित करती है और समुचित सरकार को यह संतुष्टि हो जाती है कि कंपनी इसके द्वारा भूमि के भाग का उपयोग किया जाना तो भी जारी रख सकती है. यदि इसके अनुपयोगी भाग को फिर से लिया जाए तो समुचित सरकार इसके अनुपयोगी भाग के संबंध में भूमि के अंतरण की घोषणा के आदेश को अकृत्त व शून्य करने का आदेश कर सकेगा. जिस पर ऐसा बिना उपयोग किया गया भाग समुचित सरकार को वापिस प्रतिवर्तित हो जाएगा. और यह निर्देशित करते हुए कि अधिनियम की धारा 41 के खण्ड (1) के अंतर्गत अर्जन की लागत जो कि उपयोग न किया गया भाग से संबंधित हो, के रूप में समुचित सरकार द्वारा समपहृत किया जाएगा, और शेष को कंपनी को वापिस लौटाया जाएगा, और इस प्रकार किया गया आदेश खण्ड (vi) के उपबंधों के अंतर्गत अंतिम और बंधनकारी होगा.
- (vi) जहां भूमि के उपयोग न किए गए भाग से संबंधित राशि के संबंध में कोई विवाद हो, तो ऐसा विवाद उस न्यायालय को जिसकी अधिकारिता के अधीन भूमि अथवा इसका कोई भाग अवस्थित है निर्दिष्ट किया जाएगा, और इस पर न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा.
- (2) जहां कंपनी करार के निबंधनों में से किसी का उल्लंघन करती है, तो वहां समुचित सरकार उपनियम (1) के खण्ड (vi) अथवा (v) के अन्तर्गत किसी आदेश को करने के पूर्व समिति से परामर्श करेगी.
- (3) समुचित सरकार उपनियम 1 के खण्ड (i) के अन्तर्गत अनुज्ञा देने अथवा खण्ड (iii) के अंतर्गत समय विस्तारित करने अथवा उपनियम के खण्ड (iv) अथवा (v) के अन्तर्गत किसी आदेश को करने के पूर्व समिति से परामर्श करेगी.

धारा 41 के अन्तर्गत करार में उपबंधित किए जा सकने वाले अतिरिक्त विषय.—(1) नियम 5 के उपबंधों से प्रतिकूल हुए बिना, अधिनियम की धारा 41 में निर्दिष्ट करार के निबंधनों में निम्नानुसार विषय भी शामिल हो सकेंगे, नामतः—

- (i) यह कि, अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अधिनिर्णय करने के पूर्व, कंपनी कलेक्टर को ब्याज से मुक्त ऐसी राशि (भूमि के संबंध में भुगतान योग्य प्रतिकर की अनुमानित राशि के दो तिहाई भाग से अधिक न होने वाली) नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (III) द्वारा यथा अवधारित को जमा करेगी, और ऐसे समय के भीतर जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट करना उपयुक्त समझता है.

(2) जहां कोई राशि उपनियम (1) के अन्तर्गत कलेक्टर को जमा की गई है. कलेक्टर इस प्रकार जमा की गई राशि का भुगतान, हितबद्ध व्यक्तियों को जो कलेक्टर की राय में अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) एक अंतर्गत प्रतिकर का भुगतान पाने के हकदार

हैं, का भुगतान करेगा, और उन्हें जब तक कि, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में वर्णित आकस्मिकताओं में से एक या अधिक के कारण प्रवारित न किया गया हो, निम्नानुसार शर्तों के अध्ययधीन भुगतान करेगा, नामतः—

- (i) प्रत्येक प्राप्तकर्ता द्वारा करार के निष्पादन करने पर यदि उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि अंतिम रूप से अधिनिर्णीत प्रतिकर की राशि से आधिक्य में होती है, तो आधिक्य राशि को उससे बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा, और वह इस उपनियम के अंतर्गत उसके द्वारा प्राप्त की गई राशि के संबंध में अधिनियम के उपबंधनों में अंतर्गत किसी ब्याज का दावा नहीं करेगा.
- (ii) प्रतिभूति के साथ अथवा प्रतिभूति के बिना जैसा कलेक्टर तय करे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिकर अथवा इसके किसी भाग के लिये किसी दावे के विरुद्ध समुचित सरकार की क्षतिपूर्ति करने को परिवचनित करने के लिये प्रत्येक प्राप्तकर्ता द्वारा बंधपत्र का निष्पादन करने पर.

(3) यदि उपनियम (1) के अन्तर्गत कंपनी द्वारा जमा की राशि अथवा इसका कोई भाग उपनियम (2) के अन्तर्गत भुगतान नहीं किया गया है, कलेक्टर यथा साध्य शीघ्रता से इसे कंपनी को वापिस करेगा.

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित समक्ष अनुमति ली जाना होगी.
4. भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी. पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए.
5. आवेदक कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावत् शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.
7. आवेदक कंपनी द्वारा आदर्श पुनर्वास नीति 2002 के प्रावधान अनुसार अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि रकबा 430.665 हेक्टर से प्रभावित कृषक परिवारों को दी जाने वाली सुविधाएं के संबंध में पुनर्वास योजना तैयार की जाकर दिनांक 17-12-2012 को प्रस्तुत की गई है, जिसे अनुशंसा के साथ इस कार्यालय के पत्र क्र. 10245/प्रस्तु./भू-अर्जन/2012 छिन्दवाड़ा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अन्तर्गत सचिव मध्यप्रदेश शासन पुनर्वास विभाग भोपाल की ओर प्रेषित की गई है. उपरोक्त पुनर्वास नीति के संबंध में मध्यप्रदेश शासन पुनर्वास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ-5-17/2011/28 भोपाल दिनांक 28 जनवरी 2013 के संदर्भ में (Comparative Question) के परिपेक्ष में कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार प्रतिवेदन पत्र 1166/प्रस्तु./भू-अर्जन/2013 छिन्दवाड़ा दिनांक 12 फरवरी 2013 के अंतर्गत प्रेषित किया गया है. आवेदक कंपनी को उपरोक्त उल्लेखित प्रतिवेदनों के अनुसार पुनर्वास नीति में किये गये प्रावधान अनुसार एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्वास नीति के अंतर्गत समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

8. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ-8-02/सात/शा.2/बी./85 दिनांक 25 जनवरी, 85 उक्त परिपत्र जारी होने के पश्चात् विभिन्न वैधानिक प्रावधान संशोधित हुये हैं अथवा अन्य नए अधिनियम/नियम जारी किए गए हैं. अतः उक्त परिपत्र को संशोधित किया जाना आवश्यक हुआ है. अतः पद क्र. 2 में उल्लेखित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के जारी पत्र क्र. एफ -16-45/2012/सात/शा. 2/ए भोपाल दिनांक 13 मार्च 2013 के अंतर्गत प्रश्नाधीन परिपत्र अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं अर्थात् उद्योग स्थापित करने के लिये निजी भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व कलेक्टर द्वारा संबंधित आवेदक उद्योग से इस आशय का अभिवचन प्राप्त किया जायेगा कि वह उसके उद्योग से संबंधित सभी अधिनियमों/नियमों का पालन करेगा. उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कंपनी को इस आशय का अभिवचन दिया जाना अनिवार्य होगा.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्रमांक 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा एवं पक्ष क्रमांक 2 "मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड" की ओर से संचालकगण, (1) श्री कमल पिता शिवकिशन अग्रवाल निवासी 918, शिवविला देशपाण्डे ले-ऑऊट वर्धमान नगर नागपुर महाराष्ट्र, (2) श्री संजय पिता पुरणमल अग्रवाल, निवासी प्लाट नं. 26, भगवाघर ले-ऑऊट धरमपेट नागपुर महाराष्ट्र, (3) श्री महेश पिता कैलाशचन्द्र अग्रवाल निवासी प्लाट नं. 301 हरे कृष्णा इन्क्लेव्ह, रामदासपेट नागपुर महाराष्ट्र, द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1

हस्ता./-

नाम : (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)

अतिरिक्त कलेक्टर

पता : शासकीय आवास गृह क्र. ई-1

साउथ सिविल लाईन छिन्दवाड़ा

पक्ष क्रमांक 1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

(महेशचंद्र चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)

साक्षी क्र. 2

हस्ता./-

नाम : सुनील पुरी

पिता का नाम : गौरीदत्त पुरी

पता : 23 ए, नवाब ले-ऑऊट,

तिलक नगर, नागपुर (महाराष्ट्र)

पक्ष क्रमांक 2

मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड

कि ओर से संचालक

हस्ता./-

1. (कमल पिता शिवकिशनजी अग्रवाल)

हस्ता./-

2. (संजय पिता पुरनमलजी अग्रवाल)

हस्ता./-

3. (महेश पिता कैलाशचन्द्रजी अग्रवाल)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. व्यू-भू-अर्जन-3-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	अशोकनगर	गोपालपुर	61.94	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर (म. प्र.).	वरखेड़ा छज्जू तालाब निर्माण कार्य.

- (2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय से भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 204-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	निसरपुर	544.35	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न. घा. वि. प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अंतर राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. क-भू.अ.वि. अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा (4) की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
दमोह	दमोह	खोजाखेड़ी	0.22	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड	बी. ओ.टी. (टोल+एन्यूटी)
		बेलखेड़ी	0.56	डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि.,	योजनान्तर्गत दमोह-पथरिया-
		कुल योग . .	0.78	सागर.	गढाकोटा मार्ग के निर्माण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्र. क 2818-प्र. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	(7)	
			कुल रकबा (हे. में) (5)		
सागर	केसली	समनापुर	1	0.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
		प. ह. नं. 20			संभाग क्र. 2, सागर (म.प्र.).
		योग . .		0.30	सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के कार्यालय में का निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 2819-प्र. भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल ख.नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	केसली	जोलनपुर	39	12.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	केसली विकासखंड के अन्तर्गत जोलनपुर जलाशय योजना के बांध एवं नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. 519-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित व्यौरा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शिवपुरी	करैरा	अमोला	निजी भूमि-	1350	0.70	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना पक्का बांध संभाग मड़ीखेड़ा जिला शिवपुरी,	सिंध परियोजना मड़ीखेड़ा बांध निर्माण हेतु डूब क्षेत्र
			कुआं-12	1351	1.40		
			वृक्ष-131	1352	2.00		
			मकान-1	1353	1.40		
			चबूतरा-1	1355	1.35		
				1365	0.44		
	1366	0.17					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1367	0.61		
				1368	0.40		
				1369	0.15		
				1370	0.46		
				1374	0.24		
				1375	0.15		
				1377	0.08		
				1378	0.19		
				1379	0.17		
				1380	0.49		
				1381	0.21		
				1383	0.20		
				1385	0.15		
				1388	0.44		
				1389	0.27		
				1390	0.38		
				1391	0.25		
				1392	0.25		
				1395	0.16		
				1397	0.29		
				1398	0.42		
				1412	0.39		
				1413	0.27		
				1414	0.27		
				1421/3	0.26		
				1423	0.06		
				1484/2	1.17		
				1486	0.22		
				1487	0.50		
				1488	0.26		
				1489	0.48		
				1490	0.34		
				1491	0.21		
				1492	0.26		
				1493	0.37		
				1502	2.22		
				योग . .	20.70		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 9-अ-82 वर्ष 2012-13-भू-पत्रक क्र.-223.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	आलोद प.ह.नं. 81 नं. बं. 14.	1.284	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	आलोद जलाशय की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82 वर्ष 2012-13-भू-पत्रक क्र.-223.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	गोरखपुर प.ह.नं. 80 नं. बं. 151.	2.445	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	आलोद जलाशय की गोरखपुर माईनर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 9 अप्रैल 2013

क्र. 5-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	नांदगांव प. ह. नं.1/20	निजी भूमि 0.108 हे (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (सेतु निर्माण) सिवनी, जिला सिवनी, म. प्र.	सिरपुर-नांदगांव मार्ग के नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण सेतु निर्माण उप संभाग, बालाघाट के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	मेहन्दीवाडा प. ह. नं. 32/24	0.444 (संरचना सहित)	प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, संभाग जबलपुर.	गरा वारासिवनी महाराष्ट्र बार्डर में टोल प्लाजा (एमडीआर) निर्माण प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं हल्का पटवारी, ग्राम मेन्दीवाड़ा, तहसील वारासिवनी के मुख्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 10-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बैहर	दमोह, सिंघनपुरी, बोरी, खुरसीपार डोरली प.ह.नं. 37 एवं 38.	निजी भूमि 41.334 हेक्टर शासकीय भूमि 35.534 हेक्टर वन भूमि 10.513 हेक्टर कुल रकबा 87.381 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.).	कुदरई जलाशय के बांध, डूबान स्पिल चैनल एवं मुख्य नहर का निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर तहसील बैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालाघाट, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. 11-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	मेहन्दीवाडा प.ह.नं. 24	निजी भूमि 0.028 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 12-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	पौनेरा प.ह.नं. 23	निजी भूमि 1.049 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 13-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	झालीवाडा प.ह.नं. 32	निजी भूमि 0.361 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 14-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	बघोली प.ह.नं. 32	निजी भूमि 1.270 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 15-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	बासी-बकेरा प.ह.नं. 23	निजी भूमि 0.562 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 16-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	बघोली प.ह.नं. 32	निजी भूमि 0.388 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 17-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	कौलीवाडा प.ह.नं. 32	निजी भूमि 0.258 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 18-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	झालीवाडा प.ह.नं. 32	निजी भूमि 2.616 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 19-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	बकेरा प.ह.नं. 23	निजी भूमि 0.319 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 20-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	लालपुर प.ह.नं. 33	निजी भूमि 0.480 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 21-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	झरिया प.ह.नं. 03	निजी भूमि 0.339 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 22-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	डोंगरिया प.ह.नं. 03	निजी भूमि 0.619 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 23-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	आजनबिहरी प.ह.नं. 04	निजी भूमि 0.218 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 24-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	उमरवाड़ा प.ह.नं. 37	निजी भूमि 0.460 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 25-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	अमई प.ह.नं. 03	निजी भूमि 0.731 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 26-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	रेगांझरी प.ह.नं. 34	निजी भूमि 0.617 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 27-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	झिरिया प.ह.नं. 44/3	निजी भूमि 0.041 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.)	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 28-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	झिरिया प.ह.नं. 23	निजी भूमि 0.222 हेक्टर (संरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 29-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	बम्हनी प.ह.नं. 04	निजी भूमि 0.380 हेक्टर (सरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र.)	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 30-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	चिचगांव (हमेशा.) प.ह.नं. 04	निजी भूमि 0.255 हेक्टर (सरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र.)	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 31-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	बम्हनी प.ह.नं. 04	निजी भूमि 0.621 हेक्टर (सरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र.)	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 32-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	खैरलांजी	झिरिया प.ह.नं. 44/3	निजी भूमि 0.102 हेक्टर (सरचना सहित)	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र.).	राजीव सागर परियोजना की दांयी बांयी मुख्य नहर पर डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग एवं वितरक नहरों के निर्माण कार्य हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3, कटंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 6-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	हिरापुर प.ह.नं. 13	4.002 हेक्टर (सरचना सहित)	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र).	कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 7-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	तिरोडी प.ह.नं. 22	1.702 हेक्टर (सरचना सहित)	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र).	कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोडी	पौनिया प.ह.नं. 23	निजी भूमि 11.316 हेक्टर (संरचना सहित)	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र).	कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 33-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	कटंगी	चिकमारा प.ह.नं. 24	9.194 हेक्टर (संरचना सहित)	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र).	कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 34-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	कटंगी	चौखण्डी प.ह.नं. 23	7.873 हेक्टर (संरचना सहित)	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र).	कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 2-अ-82 वर्ष 2011-12-पत्र क्र.-104-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—नरसिंहपुर
(ग) ग्राम—डुंगरिया प.ह.नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.050 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
50/1	0.050
योग . .	<u>0.050</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डुंगरिया जलाशय की बेस्टवियर निर्माण होने के कारण.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 14 मार्च 2013

रा. प्र. क्र. 11-अ-82-2011-12-भू-अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—बहोरीबंद

(ग) ग्राम—जुझारी, प.ह.नं. 33/15

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.67 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
699	0.10
134	0.20
133	0.07
132/1	0.08
123/1	0.04
132/2	0.08
129	0.25
126/1	0.07
126/2	0.07
127	0.03
118	0.06
131	0.04
119	0.10
130	0.05
128	0.06
165	0.09
166	0.09
164	0.10
163	0.05
123/2	0.04
योग . .	<u>1.67</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जुझारी कल्हैया जलाशय नहर निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम संख्या 68 सन् 1984 की

धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—सिहोरा

(ग) ग्राम—मझगवां प.ह.नं. 46 नं. ब. 519

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.42 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1554	0.01
1555	0.07
1556	0.07
1557	0.06
1560	0.10
1561	0.11
कुल योग . . . 0.42	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दांयी तट नहर के सी. डी. का जल निकासी हेतु (नाला ट्रेनिंग) कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी रानी अंवती बाई लोधी सागर परियोजना इकाई क्र. 2 बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधिनियम संख्या 68 सन् 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—सिहोरा

(ग) ग्राम—फनवानी प.ह.नं. 56/91 नं. ब. 467/245

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.19 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
859	0.13
898/1, 898/2	0.13

(1)	(2)
899	0.13
900	0.15
901/1	0.01
906	0.18
910	0.06
911	0.15
913	0.10
917	0.14
918/1	0.01
कुल योग . . . 1.19	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दांयी तट नहर की खमरिया माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, रानी अंवती बाई लोधी सागर परियोजना इकाई क्र. 2, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुशी, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 203-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुशी

(ग) ग्राम—चिखल्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—107.92 वर्गमीटर.

सर्वे नं.	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
245/1/1	107.92
योग : 107.92	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब प्रभावित होने से”.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, न.घा.वि.प्रा. मान जोबट, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

खण्डवा, दिनांक 1 अप्रैल 2013

नस्ती क्र. 160-एल.ए.-2012-भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—मोहद
(घ) अर्जित रकबा—0.76 हेक्टेयर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 22 मार्च 2013

नस्ती क्र. 160-एल.ए.-2011-भू-अर्जन प्र. क्र. 12-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—हनवंतिया
(घ) अर्जित रकबा—0.666 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
62/1	0.161
110	0.359
62/3	0.146
कुल योग . .	0.666

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा जिले में इंदिरा सागर गंतव्य विकास योजना के वैकल्पिक बारह मासी मार्ग हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण—1-कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा—2-कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा में किया जा सकता है.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
395	0.06
396	0.01
419	0.02
420	0.04
422	0.07
423	0.02
424	0.02
425	0.04
427	0.01
450	0.06
451	0.07
452	0.01
455/1	0.12
467	0.05
468	0.06
487	0.06
491/1	0.04
कुल योग . .	0.76

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप-लाईन के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 161-एल.ए.-2012-भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 उद्घोषणा के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—केनूद
(घ) अर्जित रकबा—1.80 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
88/1	0.09
88/2	0.01
88/3	0.01
90	0.12
91	0.03
95/1	0.04
95/2	0.03
96	0.01
98/1	0.03
98/2	0.03
99/1	0.02
100	0.02
101	0.08
102	0.05
103/1	0.01
103/2	0.04
104/2	0.11
108/2	0.23
118	0.06
119	0.10
121	0.13
122/1	0.03
122/2	0.02
122/3	0.02
123	0.06
127	0.05
128/1	0.28
187	0.09
कुल योग . .	1.80

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप-लाईन के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 2 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 17-अ-82-2011-12-मक्सूदनगढ़-204.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
(ख) तहसील—मक्सूदनगढ़
(ग) नगर/ग्राम—मक्सूदनगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.910 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
457/1 में से	0.086
16 में से	0.063
17 में से	0.176
18/1 में से	0.042
18/2 में से	0.010
18/4 में से	0.105
19 में से	0.036
20/1 में से	0.123
21 में से	0.032
26 में से	0.042
27/1 में से	0.095
31/1 क में से	0.036
33 में से	0.042

(1)	(2)
156 में से	0.050
151 में से	0.024
152 में से	0.015
149 में से	0.025
100/1 में से	0.045
96/3 में से	0.044
94 में से	0.045
93 में से	0.023
456/2 क में से	0.022
456/2ख मिन 1 में से	0.022
458 में से	0.178
454 में से	0.021
455 में से	0.052
276/1 में से	0.084
276/2 में से	0.064
279 में से	0.230
278/2/2 में से	0.052
87/2/2 में से	0.026
योग . . .	1.910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मक्सूदनगढ़ बायपास रोड निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राधौगढ़ तथा कार्यपालन यंत्री, लो. नि. विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 575-प्र.क्र.11-अ-82-2012-13-1980.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—बुढ़ार

- (ग) ग्राम—छांटा उर्फ नवांटोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.214 हेक्टर.

ग्राम—छांटा उर्फ नवांटोला पटवारी हल्का चंगेरा नम्बर 140

39/700/2 1.214

(2) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—बुढ़ार
(ग) ग्राम—चंगेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.349 हेक्टर.

ग्राम—चंगेरा पटवारी हल्का चंगेरा नम्बर 140

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
263/2क	0.730
263/4	0.243
263/6	0.243
263/8	0.024
263/8ख	0.032
263/8घ	0.055
263/8च	0.034
263/8ज	0.032
263/8 ज	0.055
263/8ठ	0.024
263/8ढ	0.024
263/9	0.243
264	1.655
261/2ख	0.056
261/2घ	0.056
261/4	0.506
255	0.170
257	0.292
518/1	0.072
518/3	0.073
519	0.186
520/2	0.230
520/4	0.239
263/2ख	0.617
263/5	0.485
263/7	0.243
263/8क	0.029
263/8ग	0.034
263/8ङ	0.055
263/8छ	0.055
263/8झ	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
263/8ट	0.034	524	0.069
263/8ड	0.024	526	1.416
263/8ण	0.024	526/2घ	0.142
263/10	0.485	527/1	0.405
261/2क	0.056	527/2ख	0.405
261/2ग	0.056	527/617	0.202
261/3	0.405	528/2	0.405
260	0.146	528/3क	0.024
256	0.014	528/3घ	0.023
258	0.014	529	0.684
518/2	0.072	531	1.145
518/4	0.074	533/1	0.422
520/1	0.230	533/2ख	0.049
520/3	0.289	533/2घ	0.049
263/3	0.610	533/3	0.243
कुल रकबा . .	9.349	535/1	0.031
		535/3	0.081

(3) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—बुढ़ार

(ग) ग्राम—नौगई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.745 हेक्टर.

ग्राम—नौगई, पटवारी हल्का चंगेरा नम्बर 140

खसरा नम्बर (1)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)		
491	0.196	500	0.406
501/2ख	0.093	502/2	0.556
501/2क	0.029	503/2	0.065
501/2ग	0.047	509/1	0.005
501/2घ	0.047	511	0.615
501/3ख	0.101	517/2	0.202
502/1	0.556	517/4	0.324
503/1	0.064	521	1.882
503/3	0.309	522/2	0.809
509/2	0.005	523/2क	0.405
510	0.958	523/2/ख/2	0.101
513	0.648	525	1.145
517/3	0.081	526/2ग	0.141
520	0.599	526/2ड	0.142
522/1	1.084	527/2क	1.423
522/3	0.809	527/2ग	0.405
523/2ख/1	0.089	528/1	0.400
		528/2ग	0.024
		528/3ख	0.023
		528/5	0.023
		530/2	0.809

(1)	(2)
532	0.574
533/2क	0.049
533/2ग	0.049
533/2ड	0.049
533/4	0.243
535/2	0.324
536	2.226
536/2ख	0.227
536/2घ	0.227
537/1	0.405
537/3	0.134
538	0.571
योग . .	<u>27.745</u>

- (2) जिसके लिए आवश्यकता है—चंगेरा जलाशय योजना के निर्माण कार्य डूब क्षेत्र एवं नहर में प्रभावित ग्राम चंगेरा नौगई, छांटा ऊर्फ नवांटोला की कुल 38.308 हे. भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. 870-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—चन्दैनी
(घ) क्षेत्रफल —0.090 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
795	0.090
योग . .	<u>0.090</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर पारियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 4 अप्रैल 2013

क्र. क-प्र. भू-अर्जन-03 अ-82 वर्ष 11-12-2820.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—धर्मश्री एवं बम्होरी रेगुवा प.ह.नं.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.920 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम-धर्मश्री

1,2,3	0.120
12/3	0.080
14	0.088

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
17/1	0.152	
17/2, 18	0.168	छतरपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2013
41/2	0.044	
42/2	0.096	प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
57	0.028	
59	0.096	
60	0.040	
42/1	0.124	
76/1	0.028	अनुसूची
76/2	0.020	(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि
76/3	0.020	(क) जिला—छतरपुर
76/4	0.020	(ख) तहसील—चंदला
76/5	0.016	(ग) ग्राम/नगर—छठीबम्होरी
85/1	0.190	(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.450 हेक्टेयर.

ग्राम—बम्होरी रेगुवा

	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
448/1	0.13	(1) (2)
455	0.01	673/2 0.138
458	0.10	2008/3 0.100
459	0.12	2683/4/1 0.050
460	0.05	2683/4/2 0.162
473	0.10	कुल रकबा . . 0.450
474	0.08	
योग . .	1.920	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये—बम्होरी रेगुवा धर्मश्री वायपास निर्माण हेतु ग्राम बम्होरी रेगुवा +धर्मश्री का भू-अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की छठीबम्होरी माइनर के भू-अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 294-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री राकेश कुमार (गुप्ता), अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 4, विद्युत् अधिनियम, 2003, ग्वालियर.	ग्वालियर	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की हैसियत से.

नोट :— श्री राकेश कुमार (गुप्ता), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवाएं, श्री बी. एस. भदोरिया, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के साथ सम्बद्ध रहेंगी.

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 324-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री बी. बी. शुक्ला, अपर जिला न्यायाधीश, (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	रजिस्ट्रार जिला स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से, श्री अभय कुमार (सक्सेना) के स्थान पर.
2	श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना.	पन्ना	जबलपुर	रजिस्ट्रार (Vigilance Litigation) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.

क्र. 318-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री कृष्णकांत शर्मा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	भिण्ड	ग्वालियर	अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी)(निरीक्षण एवं सतर्कता), खण्डपीठ, ग्वालियर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. 326-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री राकेश कुमार (गुप्ता), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से श्री बी. एस. भदोरिया के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 400-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.	उमरिया	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. 421-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री वेद प्रकाश शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से, दिनांक 1-4-2013 से.

क्र. 428-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर. एवं परीक्षा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	ग्वालियर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर की हैसियत से.
2	श्री शम्भू दयाल दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.
3	श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.	उमरिया	जबलपुर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

नोट :—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 300/गोपनीय/2013, दिनांक 7 मार्च 2013 एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 400/गोपनीय/2013, दिनांक 25 मार्च 2013 जहां तक इसका संबंध क्रमशः श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर. एवं परीक्षा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर एवं श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 322-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1)के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री बी.एस. भदौरिया, रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्त से लौटने पर.	जबलपुर	भोपाल	भोपाल	सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 353-गोपनीय-2013-दो-2-33-57-(भाग-10).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश क्रमांक 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 28 जून 2003 तथा दिनांक 18 अप्रैल 2002 के अंतर्गत स्तम्भ (2) में दर्शित पीठासीन अधिकारी कुटुम्ब न्यायालय की उसी हैसियत में स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर.	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से दिनांक 30-4-2013 को श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर के सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

क्र. 354-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानान्तरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने

के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम	कहां से	सारणी		न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
			कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डॉ. अनिल कुमार पारे, संचालक, लोक अभियोजन, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	बड़वानी	बड़वानी	सिविल जिला बड़वानी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी की हैसियत से श्री एस. के. मण्डलोई के स्थान पर.
2	श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल.	बैतूल	खण्डवा	खण्डवा	सिविल जिला, खण्डवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा की हैसियत से श्री जगदीश बाहेती के स्थान पर.
3	श्री रणजीत सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.	मण्डला	विदिशा	विदिशा	सिविल जिला, विदिशा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा की हैसियत से श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा के दिनांक 30-4-2013 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.
4	श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.	रतलाम	बैतूल	बैतूल	सिविल जिला, बैतूल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल की हैसियत से श्री अभिनन्दन कुमार जैन के स्थान पर.
5	श्री प्रदीप कुमार वर्मा विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, राजगढ़.	राजगढ़	अनूपपुर	अनूपपुर	सिविल जिला अनूपपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से श्री पी.के. श्रीवास्तव (जूनियर) के स्थान पर.
6	श्री श्रवण कुमार रघुवंशी विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, इन्दौर.	इन्दौर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	सिविल जिला मण्डलेश्वर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
8	श्री राजेन्द्र कुमरा सिंह गौतम विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रीवा.	रीवा	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सिविल जिला नरसिंहपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की हैसियत से श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	श्री ओमप्रकाश शर्मा (जूनियर) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	उज्जैन	रतलाम	रतलाम	सिविल जिला रतलाम. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम की हैसियत से श्री सुरेश कुमार जैन के स्थान पर.
10	श्री राम प्रकाश शरन अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	सतना	अलीराजपुर	अलीराजपुर	सिविल जिला, अलीराजपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर की हैसियत से श्री अशोक कुमार जोशी के स्थान पर.

क्र. 355-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री जगतपति राव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	होशंगाबाद	मण्डला	मण्डला	सिविल जिला, मण्डला. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डला के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

क्र. 356-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	डॉ. शिवकुमार मिश्रा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	गुना	देवास	देवास	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	देवास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	श्रीमती राधा सोनकर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मण्डला के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	मण्डला	कटनी	कटनी	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	कटनी
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनियर), अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	शिवपुरी	इन्दौर	इन्दौर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री एस. के. रघुवंशी के स्थान पर.	इन्दौर
4	श्री भागचंद मलैया अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मन्दसौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	मन्दसौर	रतलाम	रतलाम	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री वी.के. दुबे (सीनियर) के स्थान पर.	रतलाम
5	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह रजिस्ट्रार (व्ही.एल.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.	जबलपुर	उज्जैन	उज्जैन	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	उज्जैन
6	श्री अभय कुमार (सक्सेना), रजिस्ट्रार (जिला स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.	जबलपुर	रायसेन	रायसेन	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	रायसेन
7	श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भिण्ड के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भिण्ड	मुरैना	मुरैना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	मुरैना
8	श्रीमती विभावरी जोशी विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, छिंदवाड़ा.	छिंदवाड़ा	राजगढ़	राजगढ़	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री पी.के. वर्मा के स्थान पर.	राजगढ़
9	श्री पवन कुमार गोधा विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	शाजापुर	शाजापुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री के.पी. सिंह के स्थान पर.	शाजापुर
10	श्री मृत्युंजय सिंह द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर	सतना	सतना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री आर. एन. चौधरी के स्थान पर.	सतना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	श्री तारकेश्वर सिंह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.	हरदा	दमोह	दमोह	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री एस. बी. भार्गव के स्थान पर.	दमोह
12	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती विभावरी जोशी के स्थान पर.	छिंदवाड़ा
13	श्री अविनाश कुमार खरे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनावर, जिला धार.	मनावर	रीवा	रीवा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री आर. के. एस. गौतम के स्थान पर.	रीवा
14	श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल.	बैतूल	बैतूल	बैतूल	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में	बैतूल
15	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनियर), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.	उमरिया	मण्डला	मण्डला	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री आर. के. कोष्टा के स्थान पर.	मण्डला
16	श्री अनिल कुमार मोहनिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.	मण्डलेश्वर	हरदा	हरदा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री तारकेश्वर सिंह के स्थान पर.	हरदा
17	श्री जयराम सिंह कटारिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरदारपुर, जिला धार.	सरदारपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री पी. के. गोधा के स्थान पर.	टीकमगढ़
18	श्री भरत सिंह ओहरिया, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर	दतिया	दतिया	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से कुमारी मीना सिंह के स्थान पर दिनांक 1-5-2013 से.	दतिया
19	श्री महादेव मुवेल प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी, जिला बालाघाट.	वारासिवनी	पन्ना	पन्ना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार निगम के स्थान पर.	पन्ना
20	श्री इंद्रपाल सिंह सोलंकी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नौगाँव, जिला छतरपुर.	नौगाँव	विदिशा	विदिशा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री विनोद भारद्वाज के स्थान पर.	विदिशा

क्र. 357-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1)के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से, नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री आलोक कुमार वर्मा (जूनियर), अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दमोह के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	दमोह	भोपाल	भोपाल	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से श्री आर.पी.एस. चौहान के स्थान पर.
2	श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर.	ग्वालियर	पिछोर	शिवपुरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से श्री सुबोध कुमार जैन के स्थान पर.
3	श्रीमती भागवती चौधरी	राजगढ़	आष्टा	सीहोर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4	श्री शिवबदन वर्मा	संधवा	देवास	देवास	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा	ग्वालियर	उज्जैन	उज्जैन	नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से श्री राजेश गुप्ता के स्थान पर.
6	श्री चन्द्रेश कुमार खरे	जबलपुर	लखनादौन	सिवनी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से कुमारी कल्पना उपाध्याय के स्थान पर.
7	श्री केशव सिंह तोमर	रहली	सुसनेर	शाजापुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
8	श्री रमेश कुमार सोनी, विधि सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, कार्यालय लोकायुक्त, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	रहली	सागर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से श्री के. एस. तोमर के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला	सीधी	दतिया	दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
10	श्री राकेश श्रोत्रिय	मुरैना	सेंधवा	बड़वानी	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शिवबदन वर्मा के स्थान पर.
11	डॉ. सुभाष कुमार जैन	ग्वालियर	हटा	दमोह	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
12	श्री रमेश चन्द्र मालवीय	बिजावर	भोपाल	भोपाल	पन्द्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
13	श्री प्रेमनारायण सिंह	जबलपुर	सतना	सतना	षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
14	श्री गुणवन्त सिंह सलूजा	मनासा	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती शशिकला चन्द्रा के स्थान पर.
15	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	ग्वालियर	उज्जैन	उज्जैन	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से श्री अतुल्य सराफ के स्थान पर.
16	श्री राजवर्द्धन गुप्ता	गोहद	मुरैना	मुरैना	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश श्रोत्रिय के स्थान पर.
17	श्री रामलाल यादव	झाबुआ	मनासा	नीमच	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जी. एस. सलूजा के स्थान पर.
18	श्री योगेश कुमरा गुप्ता अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	सागर	सागर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जे. पी. सिंह के स्थान पर.
19	श्री सुबोध कुमार जैन	पिछोर	महिदपुर	उज्जैन	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
20	श्री सुरेश रणदिवे	करैरा	सारंगपुर	राजगढ़	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
21	श्री आलोक अवस्थी	जबलपुर	गाडरवारा	नरसिंहपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री टी. आर. उईके के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	श्री अतुल्य सराफ	उज्जैन	मनावर	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अविनाश कुमार खरे के स्थान पर.
23	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जूनियर)	सेंधवा	श्योपुर	श्योपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
24	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनियर).	जबलपुर	इटारसी	होशंगाबाद	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
25	श्री भरत सिंह जमरा	अम्बाह	इन्दौर	इन्दौर	सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
26	श्री जोसेफ माइकल राव	वारासिवनी	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश. छिंदवाड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, छिंदवाड़ा की हैसियत से.
27	श्री जशरथ राज बच्चन रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.	जबलपुर	कटनी	कटनी	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
28	श्री सनत कुमार कश्यप	शहडोल	अनूपपुर	अनूपपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से.
29	श्री दिलीप कुमार नागले	सोहागपुर	नरसिंहगढ़	राजगढ़	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
30	श्री प्राणेश कुमार प्राण	बैढ़न	सिहोरा	जबलपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्रीराम माण्डवे के स्थान पर.
31	कुमारी नीना आशापुरे	भोपाल	धार	धार	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
32	श्रीमती ममता जैन	मन्दसौर	जबलपुर	जबलपुर	बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री चन्द्रेश कुमार खरे के स्थान पर.
33	श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल	ग्वालियर	गोहद	भिण्ड	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजवर्द्धन गुप्ता के स्थान पर.
34	श्री पद्मचन्द्र गुप्ता, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर.	ग्वालियर	अम्बाह	मुरैना	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बी. एस. जमरा के स्थान पर.
35	कुमारी कल्पना उपाध्याय	लखनादौन	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी	शिवपुरी	सोहागपुर	होशंगाबाद	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री दिलीप कुमार नागले के स्थान पर.
37	कुमारी भावना साधो	इन्दौर	सरदारपुर	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जे. एस. कटारिया के स्थान पर.
38	श्री सिकन्दर सिंह परमार, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	करैरा	शिवपुरी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुरेश रणदिवे के स्थान पर.
39	श्री सुनील कुमार जैन (सीनियर)	मन्दसौर	जबलपुर	जबलपुर	नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पी.एन. सिंह के स्थान पर.
40	श्री देव नारायण (शुक्ला)	मन्दसौर	धरमपुरी	धार	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
41	श्री जयप्रकाश सिंह	सागर	बिजावर	छतरपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर.सी. मालवीय के स्थान पर.
42	श्री प्रकाश चन्द्रा	उज्जैन	दमोह	दमोह	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह की हैसियत से.
43	श्री श्रीराम माण्डवे	सिहोरा	वारासिवनी	बालाघाट	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जे. एम. राव के स्थान पर.
44	श्री आनन्द कुमार छापरिया	जोबट	सेवढ़ा	दतिया	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
45	श्री अशोक कुमार गोयनार	धार	चाचौड़ा	गुना	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.
46	श्री आशीष दीक्षित	महू	नौगांव	छतरपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री इंद्रपाल सिंह सोलंकी के स्थान पर.
47	श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव	मन्दसौर	जोबट	अलीराजपुर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आनंद कुमार छापरिया के स्थान पर.
48	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	मन्दसौर	मऊगंज	रीवा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

क्र. 362-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (19 सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित मुख्य न्यायाकि दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (ए)1-2013-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 12 मार्च 2013 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित हैं, स्तम्भ (2) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ	न्यायालय में बैठने का स्थान
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री बद्रीप्रसाद मरकाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बालाघाट.	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	बालाघाट
2.	श्री विवेक कुमार गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सबलगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सबलगढ़ जिला मुरैना.	सबलगढ़	सबलगढ़	मुरैना	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में दिनांक 20-4-2013 से.	सबलगढ़
3.	श्री इकबाल खान गौरी	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	इन्दौर
4.	श्री नत्थू सिंह डार	मुरैना	मुरैना	मुरैना	पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	मुरैना
5.	श्री महेन्द्र सिंह तोमर	सीधी	भिण्ड	भिण्ड	पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	भिण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. श्री नारायण सिंह लावरिया	तराना	राजगढ़	राजगढ़	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमति भागवति चौधरी के स्थान पर.	राजगढ़
7. श्री लाला राम मीणा	गोहरगंज	गाडरवारा	नरसिंहपुर	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. के. भावे के स्थान पर.	गाडरवारा
8. श्री देवराव गुजरकर	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.	छिंदवाड़ा
9. श्री रामगोपाल सिंह	विदिशा	डिण्डौरी	डिण्डौरी	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.	डिण्डौरी
10. श्री प्रयाग लाल दिनकर	अनूपपुर	सीधी	सीधी	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ए.सी. शुक्ला के स्थान पर.	सीधी
11. श्री राजाराम बदोदिया	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	भिण्ड
12. श्रीमति उषा गोडाम	बड़वानी	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ए. के. मोहनिया के स्थान पर.	मण्डलेश्वर
13. श्री भारत सिंह रावत	सरदारपुर	इन्दौर	इन्दौर	पदोन्नति पर अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	इन्दौर
14. श्रीमति प्रवीणा व्यास	रतलाम	मंदसौर	मंदसौर	पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुनील कुमार जैन के स्थान पर.	मंदसौर
15. श्रीमति शशिकांता वैश्य	मंदसौर	छतरपुर	छतरपुर	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	छतरपुर
16. श्रीमति ज्योति विनोदिया वर्मा	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	अशोकनगर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. श्री रमेश प्रसाद ठाकुर	गुना	मुंगावली	अशोकनगर	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.	मुंगावली
18. श्री रामप्रसाद सोनकर	भोपाल	भोपाल	भोपाल	पदोन्नति पर ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	भोपाल
19. श्री कालूसिंह बारया	अलीराजपुर	मंदसौर	मंदसौर	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती ममता जैन के स्थान पर.	मंदसौर
20. श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा	उमरिया	उमरिया	उमरिया	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पी. सी. गुप्ता (सीनियर) के स्थान पर.	उमरिया
21. श्रीमति गीता सोलंकी	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. एल. यादव के स्थान पर.	झाबुआ
22. श्री दगडू सिंह चौहान	रायसेन	झाबुआ	झाबुआ	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.	झाबुआ
23. श्री नारायण सिंह मीणा	भांडेर	वारासिवनी	बालाघाट	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री महादेव मुवेल के स्थान पर.	वारासिवनी
24. श्रीमती कृष्णा परस्ते	सिवनी	सिवनी	सिवनी	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	सिवनी
25. श्री शेख सलीम	मण्डला	जबलपुर	जबलपुर	पदोन्नति पर अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) के स्थान पर.	जबलपुर
26. श्री मनोज कुमार मण्डलोई	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	शाजापुर
27. श्री शरत चन्द्र सक्सेना	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रकाश चन्द्रा के स्थान पर.	उज्जैन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. श्री प्रियदर्शन शर्मा	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	पदोन्नति पर ग्यारहवे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	इन्दौर
29. श्री कैलाश चन्द्र यादव	बैतूल	बैतूल	बैतूल	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	बैतूल
30. श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल	होशंगाबाद	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मोहन पी. तिवारी के स्थान पर.	छिंदवाड़ा
31. श्री अशवाक अहमद खान	बुरहानपुर	धार	धार	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.	धार
32. श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर)	सागर	सागर	सागर	पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	सागर
33. श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनियर 1).	खरगौन	सिरोज	विदिशा	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरोज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.	सिरोज
34. श्री संजय कुमार चतुर्वेदी	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	पदोन्नति पर षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	ग्वालियर
35. श्री संजीव जैन	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	श्योपुर
36. श्री राजेन्द्र कुमार दशोरा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	खण्डवा
37. श्री मोहम्मद मूसा खान	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर	पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री देवनाराण (शुक्ला) के स्थान पर.	मन्दसौर
38. श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा	छतरपुर	पन्ना	पन्ना	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	पन्ना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39. श्री प्रशांत कुमार निगम	सीहोरे	बैतूल	बैतूल	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रभात कुमार मिश्रा के स्थान पर.	पन्ना
40. श्री रमेश चन्द्र चौरसिया	हरदा	हरदा	हरदा	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.	हरदा
41. श्री प्रमोद कुमार	शहडोल	शहडोल	शहडोल	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सनत कुमार कश्यप के स्थान पर.	शहडोल
42. श्री देवेन्द्र पाल गौर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	पदोन्नति पर ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से न्यायालय में.	ग्वालियर
43. श्री शमरोज खान	राजगढ़	राजगढ़	राजगढ़	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.	राजगढ़
44. श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (सीनियर)	नीमच	नीमच	नीमच	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.	नीमच

क्र. 364-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहाँ से	कहाँ को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती सविता ओगले	गाडरवाड़ा	नरसिंहगढ़	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
2	श्री निर्मल मंदोरिया	जावद	जावरा	रतलाम	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री संजीव कटारे के स्थान पर.
3	श्री आशीष प्रताप सिंह	मन्दसौर	देवास	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास की हैसियत से श्री विशाल अखण्ड के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	श्री नंदराम परमार	नारायणगढ़	आगर	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री रविकांत सोलंकी के स्थान पर.
5	श्री जयंत शर्मा	जावद	बागली	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बागली, जिला देवास की हैसियत से श्री आदेश कुमार जैन के स्थान पर.
6	श्री हिमांशु शर्मा	नारायणगढ़	सनावद	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सनावद, जिला मण्डलेश्वर की हैसियत से श्री चन्दन सिंह चौहान के स्थान पर.
7	श्रीमती शिल्पा तिवारी	रीवा	भिण्ड	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राम प्रकाश अहिरवार के स्थान पर.
8	श्री हिमांशु कौशल	महू	शिवपुरी	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री दीपक चौधरी के स्थान पर.
9	श्री नदीम खान	मन्दसौर	उज्जैन	उज्जैन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन की हैसियत से श्री हरिओम अतलसिया के स्थान पर.
10	श्रीमती वर्षा सिंह भाटी	टोंकखुर्द	उज्जैन	उज्जैन	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन की हैसियत से श्री राकेश कुमार पाटीदार (जूनियर) के स्थान पर.
11	श्री महेन्द्र पाल सिंह	लटेरी	सेंधवा	बड़वानी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सेंधवा, जिला बड़वानी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंधवा, जिला बड़वानी की हैसियत से श्री कपिल वर्मा के स्थान पर.
12	श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य	श्योपुर	मुरैना	मुरैना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुरैना की हैसियत से श्री मयंक मोदी के स्थान पर.
13	श्री विवेक कुमार मारकन	अलीराजपुर	इन्दौर	इन्दौर	बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इन्दौर की हैसियत से श्रीमती नीलम शुक्ला के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा	डिण्डौरी	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छिंदवाड़ा की हैसियत से श्रीमती रूपेन्द्र सिंह मड़ावी के स्थान पर.
15	श्री आलोक दुबे	हरदा	बण्डा	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बण्डा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बण्डा, जिला सागर की हैसियत से श्रीमती नीलम मिश्रा के स्थान पर.
16	श्रीमती वीणा खालखो	सागर	दमोह	दमोह	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दमोह की हैसियत से कुमारी सोनल चौरसिया के स्थान पर.
17	श्री विजय कुमार सोनकर	अमरपाटन	दमोह	दमोह	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दमोह की हैसियत से श्री सुरेश सिंह जमरा के स्थान पर.
18	श्रीमती सपना पोते	रायसेन	बासौदा	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बासौदा, जिला विदिशा की हैसियत से श्री हेमंत कुमार अग्रवाल के स्थान पर.
19	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे	अनूपपुर	पिपरिया	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, पिपरिया, जिला होशंगाबाद की हैसियत से श्री भारत सिंह कनेल के स्थान पर.
20.	श्री आशीर्वाद भिलाला	इंदौर	होशंगाबाद	होशंगाबाद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, होशंगाबाद की हैसियत से श्री संजय कुमार भलावी के स्थान पर.
21.	श्री अतुलराज भलावी	गाडरवाड़ा	वारासिवनी	बालाघाट	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वारासिवनी, जिला बालाघाट की हैसियत से श्री दीप नारायण के स्थान पर.
22.	श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई	बड़नगर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मण्डलेश्वर की हैसियत से श्रीमती विनीता गुप्ता के स्थान पर.
23.	श्री सिद्धार्थ तिवारी	रीवा	भिण्ड	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भिण्ड के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, भिण्ड की हैसियत से कुमारी सरिता जतारिया के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	श्री ब्रजेश गोयल	इन्दौर	उज्जैन	उज्जैन	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन की हैसियत से श्री शिवकुमार कौशल के स्थान पर.
25	श्री आसिफ अहमद अब्बासी	सेवढा	भोपाल	भोपाल	पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल की हैसियत से श्री युगल रघुवंशी के स्थान पर.
26	श्री श्रीष कैलाश शुकुल	जबलपुर	देवास	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास की हैसियत से श्री कमलेश कुमार सोनी के स्थान पर.
27	श्री प्रवीण कुमार सिन्हा	छतरपुर	मैहर	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मैहर, जिला सतना की हैसियत से श्री सुधांशु सिन्हा के स्थान पर.
28	श्री सुधांशु सिन्हा	मैहर	जबलपुर	जबलपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर की हैसियत से श्री श्रीष कैलाश शुकुल के स्थान पर.
29	कु. ज्योति राजपूत	ग्वालियर	अनूपपुर	अनूपपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अनूपपुर की हैसियत से श्रीमती किरन तुमराची के स्थान पर.
30	श्री राघवेन्द्र भारद्वाज	सबलगढ़	इन्दौर	इन्दौर	बीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इन्दौर की हैसियत से श्री आशीर्वाद भिलाला के स्थान पर.
31	श्री तरूण सिंह	टीकमगढ़	अम्बाह	मुरैना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अम्बाह, जिला मुरैना की हैसियत से श्री नीरज शर्मा के स्थान पर.
32	श्रीमती मंजुल पाण्डे	ग्वालियर	नौगांव	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, नौगांव, जिला छतरपुर की हैसियत से श्री जंग बहादुर सिंह के स्थान पर.
33	श्री माधव राव पटेल	उमरिया	कोतमा	अनूपपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कोतमा, जिला अनूपपुर की हैसियत से श्री प्रवीण कुमार सोंधिया के स्थान पर.
34	श्री सचिन जैन	ग्वालियर	गुना	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गुना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, गुना की हैसियत से कुमारी चारूलता दांगी के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	श्री इंदु कांत तिवारी	शिवपुरी	सिहोरा	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सिहोरा, जिला जबलपुर की हैसियत से श्री शिव मोहर सिंह के स्थान पर.
36	श्री नीरज शर्मा	अम्बाह	भोपाल	भोपाल	सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल की हैसियत से कु. रजनी बाथम के स्थान पर.
37	श्री योगीराज पाण्डे	रीवा	उमरिया	उमरिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उमरिया की हैसियत से श्री एम.आर. पटेल के स्थान पर.
38	श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा	रीवा	उमरिया	उमरिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उमरिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री हरीश चन्द्र पटेल के स्थान पर.
39	श्रीमती आरती शर्मा	इन्दौर	धार	धार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार के स्थान पर.
40	श्रीमती तृप्ति पाण्डे	इन्दौर	शहडोल	शहडोल	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शहडोल की हैसियत से श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा के स्थान पर.
41	श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया	ग्वालियर	शिवपुरी	शिवपुरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शिवपुरी की हैसियत से श्री इंदुकांत तिवारी के स्थान पर.
42	श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह	टीकमगढ़	अमरपाटन	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अमरपाटन, जिला सतना की हैसियत से श्री विजय कुमार सोनकर के स्थान पर.
43	श्री गौरव प्रज्ञानन	टीकमगढ़	व्यौहरी	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, व्यौहरी, जिला शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री कृष्ण पाल सिंह के स्थान पर.
44	श्री विपिन सिंह भदोरिया	टीकमगढ़	ब्यावरा	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ब्यावरा जिला राजगढ़ की हैसियत से श्री हर्ष सिंह बहरावत के स्थान पर.
45	श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे	इन्दौर	शहडोल	शहडोल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	श्री विवेक कुमार पाठक	टीकमगढ़	मैहर	सतना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री उमेश कुमार सोनी के स्थान पर.
47	श्रीमती आरती ढींगरा	इन्दौर	शाजापुर	शाजापुर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती सोनल पटेल के स्थान पर.
48	श्री युगल रघुवंशी	भोपाल	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से कु. संध्या मरावी के स्थान पर.
49	श्री स्वयं प्रकाश दुबे	कटनी	गाडरवाड़ा	नरसिंहपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती सविता ओगले के स्थान पर.
50	श्री विशाल शर्मा	नरसिंहगढ़	भोपाल	भोपाल	सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री सुरेश कुमार शर्मा के स्थान पर.
51	कु. रजनी बाथम	भोपाल	उज्जैन	उज्जैन	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री संतोष सैनी के स्थान पर.
52	श्री विवेक बुखारिया	बासौदा	सिवनी-मालवा	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री पंकज यादव के स्थान पर.
53	श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत	नौगांव	भोपाल	भोपाल	इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री हेमन्त सविता के स्थान पर.
54	श्री श्याम सुंदर झा	जबलपुर	सतना	सतना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती नीलिमा गुजरकर के स्थान पर.
55	श्री विवेक शिवहरे	खाचरौद	राजगढ़	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, की हैसियत से श्री प्रसन्न सिंह बहरावत के स्थान पर.
56	श्री उमेश कुमार सोनी	मैहर	भोपाल	भोपाल	बाईसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री आशीष ताम्रकार के स्थान पर.
57	श्री महेश कुमार माली	मंदसौर	मउगंज	रीवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	श्री हरीश चन्द्र पटेल	उमरिया	सिलवानी	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री रुपेश नायक के स्थान पर.
59	कु. चारुलता दांगी	गुना	श्योपुर	श्योपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य के स्थान पर.
60	कु. उर्मिला यादव	जबलपुर	सागर	सागर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री कमलेश कुमार कोल के स्थान पर.
61	श्री सुशील कुमार गौतम	ग्वालियर	रीवा	रीवा	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती शिल्पा तिवारी के स्थान पर.
62	श्री उपदेश राठौर	ग्वालियर	रीवा	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री सिद्धार्थ तिवारी के स्थान पर.
63	श्री रूपेश नाइक	सिलवानी	बड़नगर	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई के स्थान पर.
64	श्री विशाल अखण्ड	देवास	मंदसौर	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री नदीम खान के स्थान पर.
65	श्री संतोष सैनी	उज्जैन	बासौदा	विदिशा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री विवेक बुखारिया के स्थान पर.
66	श्री मुकेश रावत	ग्वालियर	विदिशा	विदिशा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री शशांक खरे के स्थान पर.
67	श्री सुरेश कुमार शर्मा	भोपाल	गाडरवाड़ा	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गाडरवारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अतुल राज भलावी के स्थान पर.
68	श्री हेमन्त सविता	भोपाल	टीकमगढ़	टीकमगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री गौरव प्रज्ञानन के स्थान पर.
69	श्रीमती नजमा बेगम	उमरिया	डिण्डौरी	डिण्डौरी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, डिण्डोरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70	श्री आशीष ताम्रकार	भोपाल	कटनी	कटनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, कटनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री पवन कुमार शंखवार के स्थान पर.
71	श्रीमती सारिका गिरी शर्मा	भोपाल	उज्जैन	उज्जैन	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2 की हैसियत से कु. संगीता भारती के स्थान पर.
72	श्री राम सहारे राज	भोपाल	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुनील अहिरवार के स्थान पर.
73	श्री सिराज अली	बैतूल	बैहर	बालाघाट	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 बैहर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री जयदीप सोनबरसे के स्थान पर.
74	श्री कमलेश कुमार सोनी	देवास	उमरिया	उमरिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती नजमा बेगम के स्थान पर.
75	श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी	ग्वालियर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव के स्थान पर.
76	श्री कपिल वर्मा	संधवा	देवास	देवास	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
77	श्री राकेश कुमार पाटीदार (जूनि.)	उज्जैन	मंदसौर	मंदसौर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री आशीष प्रताप सिंह के स्थान पर.
78	श्री पंकज जायसवाल	पन्ना	कन्नौद	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री नीरज मालवीय के स्थान पर.
79	श्री मंयक मोदी	मुर्ैना	शिवपुरी	शिवपुरी	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
80	श्री शिव कुमार कौशल	उज्जैन	नारायणगढ़	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री नंदराम परमार के स्थान पर.
81	श्री सुभाष सुनहरे	मंदसौर	जावद	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री निर्मल मंदोरिया के स्थान पर.
82	श्री अभिषेक नागराज	धार	सीतामऊ	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री राजेन्द्र देवड़ा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
83	श्री महेश लाचौरिया	बालाघाट	जतारा	टीकमगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अशोक भारद्वाज के स्थान पर.
84	श्री राम प्रकाश अहिरवार	भिण्ड	बिजावर	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री दिनेश कुमार प्रजापति के स्थान पर.
85	कु. पदमा राजौरै	भोपाल	धार	धार	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अभिषेक नागराज के स्थान पर.
86	श्री प्रसन्न सिंह बहरावत	राजगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री तरुण सिंह के स्थान पर.
87	श्री पवन कुमार शंखवार	कटनी	छतरपुर	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रवीण कुमार सिन्हा के स्थान पर.
88	कु. सरिता जतारिया	भिण्ड	जौरा	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से कु. प्रतिष्ठा अवस्थी के स्थान पर.
89	श्री दिनेश कुमार प्रजापति	बिजावर	सागर	सागर	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती वीणा खाल्खो के स्थान पर.
90	श्री रविकांत सोलंकी	आगर	झाबुआ	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से कु. दुर्गा डुडवे के स्थान पर.
91	कु. संगीता भारती	उज्जैन	मंदसौर	मंदसौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री भुपेन्द्र नकवाल के स्थान पर.
92	श्री सुनील अहिरवार	उज्जैन	मण्डला	मण्डला	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमार उईके के स्थान पर.
93	श्री चन्दन सिंह चौहान	सनावद	धार	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री सदाशिव दांगोड़े के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94	श्रीमती सपना भारती कतरोलिया	अलीराजपुर	महू	इन्दौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री हिमांशु कौशल के स्थान पर.
95	श्रीमती प्रीति साल्वे	ग्वालियर	रायसेन	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती सपना पोर्ते के स्थान पर.
96	श्री जयदीप सोनवर्से	बैहर	मुलताई	बैतूल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से कु. कल्पना मरावी के स्थान पर.
97	श्री कमलेश भरकुन्दिया	महिदपुर	गरोठ	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गरोठ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, की हैसियत से श्री नीलेश यादव के स्थान पर.
98	श्रीमती रितु वर्मा कटारिया	भोपाल	लटेरी	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री महेन्द्र पाल सिंह के स्थान पर.
99	श्रीमती मन्जू सिंह	इन्दौर	बैढ़न	सिंगरौली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से कु. शिप्रा पटेल के स्थान पर.
100	श्री मनीष कुमार सिंह	छतरपुर	पवई	पन्ना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अरविंद सिंह टेकाम के स्थान पर.
101	श्री आलोक प्रताप सिंह	इन्दौर	बैढ़न	सिंगरौली	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री शिवलाल केवट के स्थान पर.
102	श्री लोकेन्द्र सिंह	भोपाल	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री पुंजिया बारिया के स्थान पर.
103	श्री राजकुमार चौहान	जोबट	झाबुआ	झाबुआ	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री राम सिंह बघेल के स्थान पर.
104	श्री कृष्ण पाल सिंह	ब्यौहोरी	छतरपुर	छतरपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री मनीष कुमार सिंह के स्थान पर.
105	श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी	छिंदवाड़ा	मण्डला	मण्डला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती चैनवती ताराम के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
106	कु. सीता कनोजे	गरोट	खण्डवा	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खण्डवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, की हैसियत से श्री लक्ष्मण डुडवे के स्थान पर.
107	कु. कल्पना मरावी	मुलताई	कटंगी	बालाघाट	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अनिल कुमार साहू के स्थान पर.
108	श्री सज्जन सिंह सिसोदिया	मंदसौर	टोंकरखुर्द	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती वर्षा सिंह भाटी के स्थान पर.
109	श्री शिव मोहर सिंह	सिहोरा	सिरमौर	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री मनोज कुमार सिंह के स्थान पर.
110	श्री संजय कुमार भलावी	होशंगाबाद	त्योंथर	रीवा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री राजेश सिंह के स्थान पर.
111	श्री महेन्द्र कुमार उइके	मण्डला	सौंसर	छिन्दवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अनिल दन्देलिया के स्थान पर.
112	श्री पुंजिया बारिया	उज्जैन	अलीराजपुर	अलीराजपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अलीराजपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री विवेक कुमार मारकन के स्थान पर.
113	श्री संतोष बघेल	महिदपुर	गरोट	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से कु. सीता कनोजे के स्थान पर.
114	श्री अमर सिंह सिसोदिया	कुक्षी	मुंगावली	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री आनन्द गौतम के स्थान पर.
115	श्री प्रवीण कुमार सोंधिया	कोतमा	रामपुर नैकिन	सीधी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
116	कु. रंजीता सोलंकी	उज्जैन	रतलाम	रतलाम	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय पर.
117	श्री अतुल ठाकुर	इन्दौर	उचेहरा	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
118	कु. संध्या मरावी	छिंदवाड़ा	बैतूल	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री धनकुमार कुडोपा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
119	श्री सुरेश सिंह जमरा	दमोह	खान्चरौद	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री विवेक शिवहरे के स्थान पर.
120	श्री रूपसिंह कनेल	भोपाल	सेवड़ा	दतिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री आसिफ अहमद अब्बासी के स्थान पर.
121	श्री कमलेश कुमार कोल	सागर	पन्ना	पन्ना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री पंकज जायसवाल के स्थान पर.
122	श्री संजीव कटारे	जावरा	अलीराजपुर	अलीराजपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती सपना भारती कतरोलिया के स्थान पर.
123	श्री लक्ष्मण डुडवे	खण्डवा	सबलगढ़	मुरैना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री राघवेन्द्र भारद्वाज के स्थान पर.
124	श्री दीप नारायण सिंह	वारासिवनी	चुरहट	सीधी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
125	श्रीमती चैनवती ताराम	मण्डला	रीवा	रीवा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री योगीराज पाण्डे के स्थान पर.
126	श्री रवीन्द्र कुमार धुर्वे	गाडरवाड़ा	पाटन	जबलपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, पाटन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
127	श्री सदाशिव दांगोडे	धार	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री सूरज सिंह राठौर के स्थान पर.
128	श्री मेहन्द्र सिंह ताराम	निवास	रीवा	रीवा	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा के स्थान पर.
129	श्री राम सिंह बघेल	झाबुआ	महिदपुर	उज्जैन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री संतोष बघेल के स्थान पर.
130	श्री परमानंद चौहान	उज्जैन	नारायगढ़	मंदसौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री हिमांशु शर्मा के स्थान पर.
131	कु. दुर्गा डुडवे	झाबुआ	कुक्षी	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री अमर सिंह सिसोदिया के स्थान पर.
132	श्री भरत सिंह कनेल	पिपरिया	मंदसौर	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री महेश कुमार माली के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
133	श्री धनकुमार कुडोपा	बैतूल	निवास	मण्डला	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री महेन्द्र सिंह ताराम के स्थान पर.
134	श्री अरविंद सिंह टेकाम	पवई	कटनी	कटनी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री स्वयं प्रकाश दुबे के स्थान पर.
135	श्री दीपक चौधरी	शिवपुरी	चंदेरी	अशोकनगर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री कैलाश नारायण अहिरवार के स्थान पर.
136	श्री शंशाक खरे	विदिशा	बैतूल	बैतूल	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री सिराज अली के स्थान पर.
137	श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव	मण्डलेश्वर	महिदपुर	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री कमलेश भरकुन्दिया के स्थान पर.
138	श्रीमती विनीता गुप्ता	मण्डलेश्वर	जोबट	अलीराजपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जोबट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजकुमार चौहान के स्थान पर.
139	कु. नीलिमा गुजरकर	सतना	सागर	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री प्रवीण पटेल के स्थान पर.
140	श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी	राजपुर	बड़वानी	बड़वानी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
141	श्री नवनीत सिंह यादव	भोपाल	लहार	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्री भगवान दास राठौर के स्थान पर.
142	श्री अजय पेंदाम	जबलपुर	इन्दौर	इन्दौर	दसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
143	श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार	धार	सेंधवा	बड़वानी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सेंधवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
144	श्री मयंक कुमार शुक्ला	देवास	इन्दौर	इन्दौर	इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 376-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)3-2013-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 8 मार्च 2013 द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए, उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री बंदी प्रसाद मरकाम, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी फास्ट ट्रेक कोर्ट, बालाघाट.	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बालाघाट की हैसियत से दिनांक 1-4-2013 से.
2	श्री भैया लाल वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.	नरसिंहगढ़	रेहली	सागर	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से दिनांक 1-4-2013 से.
3	श्री ललिता धुर्वे, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, सिवनी.	सिवनी	बालाघाट	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 1-4-2013 से.
4	श्री नरेन्द्र कुमार जैन, ओ.एस.डी. (अपर जिला सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट), हाईकोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	बैहर	बालाघाट	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में दिनांक 1-4-2013 से.
5.	श्री विवेक कुमार गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, सबलगढ़, जिला मुरैना.	सबलगढ़	सबलगढ़	मुरैना	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सबलगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सबलगढ़ जिला मुरैना की हैसियत से दिनांक 1-4-2013 से.

क्र. 377-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर	कसरावद	अनूपपुर	अनूपपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पी.एल. दिनकर के स्थान पर.
2	श्री अरविंद रघुवंशी	जोरा	जबलपुर	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अजय कुमार सिंह के स्थान पर.
3	श्री संजय कुमार पाण्डे	भोपाल	भोपाल	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आर.पी. सोनकर के स्थान पर.
4	श्री महेश कुमार सैनी	देपालपुर	इन्दौर	इन्दौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पी.डी. शर्मा के स्थान पर.
5	कुमारी शारदा नहाटे	शिवपुरी	मंदसौर	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती शशिकांता वैश्य के स्थान पर.
6	श्री अजय कुमार टेलर	बदनावर	भिण्ड	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं जे.एम.एफ.सी. (स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी) की हैसियत से श्री आर.आर. बडोदिया के स्थान पर.
7	श्री अजय कुमार सिंह	जबलपुर	मण्डला	मण्डला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शेख सलीम के स्थान पर.
8	श्री राजेन्द्र चौरसिया	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार चतुर्वेदी के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	श्री बलराज कुमार पालौदा	उज्जैन	खण्डवा	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार दशोरा के स्थान पर.
10	श्री सुरेश चंद्र पाल	धार	रतलाम	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती प्रवीना व्यास के स्थान पर.
11	श्री प्रदीप सोनी	डबरा	मुरैना	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एन.एस. डावर के स्थान पर.
12	श्री विष्णु कुमार सोनी	भोपाल	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शरत चंद्र सक्सेना के स्थान पर.
13	श्री माखनलाल झोड	बैठन	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री डी.आर. गुजरकर के स्थान पर.
14	श्री लीलाधर सोलंकी	सीतामऊ	खरगोन	मण्डलेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनियर-1) के स्थान पर.
15	श्री रामलक्ष्मण करोरिया	मेहगांव	गुना	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आर. पी. ठाकुर के स्थान पर.
16	श्री तरुण राकेश स्टेन्डली	सारंगपुर	उमरिया	उमरिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सी. पी. वर्मा के स्थान पर.
17	श्री जगदीश चंद्र राठौर	थांदला	अलीराजपुर	अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री के. एस. बारिया के स्थान पर.
18	श्री कृपा शंकर शाक्य	महू	हरदा	हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आर. सी. चौरसिया के स्थान पर.
19	श्री शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा	पिपरिया	सीहोर	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पी. के. निगम के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	श्री ठाकुरदास	डबरा	श्योपुर	श्योपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजीव जैन के स्थान पर.
21	श्रीमती नौरीन निगम	सीहोर	बैतूल	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री के. सी. यादव के स्थान पर.
22	श्री विजय सिंह कावछा	मंदसौर	विदिशा	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राम गोपाल सिंह के स्थान पर.
23	श्री संजय कुमार कस्तवार	मऊगंज	छतरपुर	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री डी. पी. मिश्रा के स्थान पर.
24	श्री गिरीश दीक्षित	मुंगावली	अशोकनगर	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा के स्थान पर.
25	श्रीमती मनीषा बसेर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मनोज कुमार मण्डलोई के स्थान पर.
26	श्री संतोष प्रसाद शुक्ला	इन्दौर	सीधी	सीधी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एम. एस. तोमर के स्थान पर.
27	श्री आशुतोष मिश्रा	इन्दौर	कटनी	कटनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
28	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर)	ग्वालियर	सागर	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर) के स्थान पर.
29	श्री राजदीप सिंह ठाकुर	बालाघाट	सिवनी	सिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती कृष्णा परस्ते के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	श्री विवेक सिंह रघुवंशी	बरेली	देवास	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
31	श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे	रायसेन	रायसेन	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री डी. एस. चौहान के स्थान पर.
32	श्री वैभव मण्डलोई	आगरा	बुरहानपुर	बुरहानपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अश्वाक अहमद खान के स्थान पर.
33	श्री धरमपाल सिंह शिवाच	खातेगांव	बड़वानी	बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती उषा गोदाम के स्थान पर.
34	श्री दिनेश कुमार सिंह	इटारसी	होशंगाबाद	होशंगाबाद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल के स्थान पर.
35	श्रीमती माधुरी राजलालजी	उमरिया	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी) की हैसियत से श्री प्रमोद कुमार के स्थान पर.
36	श्री राजेन्द्र कुमार बाथम	देवास	राजगढ़	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी) की हैसियत से श्री शमरोज खान के स्थान पर.
37	श्री संजीव कुमार गुप्ता	इन्दौर	नीमच	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी) की हैसियत से.
38	श्री अनिल कुमार छापरिया	दतिया	शिवपुरी	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी) की हैसियत से.

क्र. 379-गोपनीय-2013-दो-3-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री समीर कुलश्रेष्ठ	कुक्षी	देवास	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, देवास के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2	श्री गंगाचरण शर्मा	लहार	डबरा	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्री तजिन्दर सिंह अजमानी	मण्डला	इटारसी	होशंगाबाद	प्रथम न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री डी. के. सिंह के स्थान पर.
4	श्री शशि भूषण शर्मा	कटनी	इन्दौर	इन्दौर	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री आर. के. श्रीवास के स्थान पर.
5	श्री अरुण श्रीवास्तव	सेन्धवा	देपालपुर	इन्दौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री एम. के. सैनी के स्थान पर.
6	श्री राकेश कुमार शर्मा	शिवपुरी	इन्दौर	इन्दौर	सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री एन. के. शर्मा के स्थान पर.
7	श्री राकेश कुमार सिंह (जूनियर)	सीधी	कटनी	कटनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री यू. एस. अग्रवाल के स्थान पर.
8	श्री राम प्रताप मिश्रा	पवई	दतिया	दतिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अनिल कुमार छापरिया के स्थान पर.
9	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव	अशोकनगर	जबलपुर	जबलपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री जे. एस. मरकाम के स्थान पर.
10	श्री नरसिंह बघेल	गाडरवारा	इन्दौर	इन्दौर	तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री ओ. पी. बोहरा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	श्री कैलाश प्रसाद मरकाम	सिवनी-मालवा	खातेगांव	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री डी. एस. सिचाव के स्थान पर.
12	श्री राम कुमार डेहरिया	देवरी	जबलपुर	जबलपुर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुनील कुमार मिश्रा के स्थान पर.
13	श्री दीपक कुमार पाण्डे	शुजालपुर	कुक्षी	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री समीर कुलश्रेष्ठ के स्थान पर.
14	श्री अशोक गुप्ता	श्योपुर	राधोगढ़	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री एस. के. जैन (जूनियर-1) के स्थान पर.
15	श्री अजय कान्त पाण्डे	ग्वालियर	मुरैना	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री जे. एस. बाजोलिया के स्थान पर.
16	श्री रामजी गुप्ता	सागर	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
17	श्री राकेश कुमार जैन	ग्वालियर	गुना	गुना	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री रूपेश कुमार गुप्ता के स्थान पर.
18	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास	इन्दौर	धार	धार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री एस. सी. पाल के स्थान पर.
19	श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनियर-2)	शाजापुर	करैरा	शिवपुरी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती नीतू कान्ता वर्मा के स्थान पर.
20	कु. सुमन श्रीवास्तव	इन्दौर	उज्जैन	उज्जैन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री बी. के. पालोदा के स्थान पर.
21	श्री बलराम यादव	सागर	रतलाम	रतलाम	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अजय सिंह ठाकुर के स्थान पर.
22	श्री सुधीर कुमार	ग्वालियर	शुजालपुर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री दीपक कुमार पाण्डे के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	श्री देवीलाल सोनिया	नरसिंहगढ़	हरदा	हरदा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
24	श्री विक्रम सिंह बुले	नागदा	आगर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
25	श्रीमती नीतू कान्ता वर्मा	करैरा	इन्दौर	इन्दौर	दशम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से डॉ. श्रीमती शुभ्रा सिंह के स्थान पर.
26	श्री राजेश नन्देश्वर	जावरा	भोपाल	भोपाल	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री मनोज कुमार शर्मा के स्थान पर.
27	श्री मनोज कुमार लढिया	रेहली	इन्दौर	इन्दौर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री डी. के. सिंह के स्थान पर.
28	श्री रतन कुमार वर्मा	भिण्ड	पिछोर	शिवपुरी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री तपेश कुमार दुबे के स्थान पर.
29	श्री मुकेश कुमार बाथम	सेवड़ा	मेहगांव	भिण्ड	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री रामलक्ष्मण करोरिया के स्थान पर.
30	श्री जवाहर सिंह मरकाम	जबलपुर	कोतमा	अनूपपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री संजय पाल सिंह बुन्देला के स्थान पर.
31	श्री सूर सिंह कन्नोज	मण्डलेश्वर	जोबट	अलीराजपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री कमलेश कुमार इटावडिया के स्थान पर.
32	श्री अरबिन्द कुमार (जैन)	मुरैना	डबरा	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, डबरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री ठाकुर दास के स्थान पर.
33	श्री संजय कुमार जैन (जूनि.-1)	राघोगढ़	इटारसी	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इटारसी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत.
34	श्री नवीन कुमार शर्मा	इन्दौर	ग्वालियर	ग्वालियर	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अजय कान्त पाण्डे के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	श्री यतीन्द्र कुमार गुरू	मऊगंज	उमरिया	उमरिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती माधुरी राज लालजी के स्थान पर.
36	श्री दिलीप गुप्ता	चंदेरी	इन्दौर	इन्दौर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से कु. सुमन श्रीवास्तव के स्थान पर.
37	श्री रघुवीर प्रसाद पटेल	हटा	डिण्डौरी	डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुरेन्द्र मेश्राम के स्थान पर.
38	श्री तनवीर अहमद खान	पोहरी	जबलपुर	जबलपुर	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती सुशीला वर्मा के स्थान पर.
39	श्री उमाशंकर अग्रवाल	कटनी	महू	इन्दौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री के. एस. शाक्य के स्थान पर.
40	श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान	बागली	इन्दौर	इन्दौर	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री संजीव कुमार गुप्ता के स्थान पर.
41	श्री सुनील कुमार मिश्रा	जबलपुर	कटनी	कटनी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री शशि भूषण शर्मा के स्थान पर.
42	डॉ. श्रीमती शुभ्रा सिंह	इन्दौर	देवास	देवास	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
43	श्रीमती कविता वर्मा	ग्वालियर	मुरैना	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरविन्द कुमार (जैन) के स्थान पर.
44	श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती	शिवपुरी	विजयपुर	श्योपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, श्योपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-विजयपुर, जिला श्योपुर की हैसियत से श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनियर) के स्थान पर.
45	श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनियर)	विजयपुर	इन्दौर	इन्दौर	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री आशुतोष मिश्रा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	श्री संजय पाल सिंह बुंदेला	कोतमा	भोपाल	भोपाल	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती अर्चना सिंह के स्थान पर.
47	श्री तपेश कुमार दुबे	पिछौर	देवरी	सागर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राम कुमार डेहरिया के स्थान पर.
48	श्री अजय सिंह ठाकुर	रतलाम	सरदारपुर	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री भारत सिंह रावत के स्थान पर.
49	श्री अरूण कुमार सिंह (जूनियर)	सतना	बुधनी	सीहोर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री राकेश कुमार अग्रवाल (जूनियर) के स्थान पर.
50	श्री सुनील मालवी	अलीराजपुर	कसरावद	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री एस. एस. ठाकुर के स्थान पर.
51	श्रीमती निशा गुप्ता	गुना	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
52	श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह	सीहोर	गौहरगंज	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सुनील कुमार शोक के स्थान पर.
53	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनियर)	बुधनी	भोपाल	भोपाल	सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
54	श्री धमेन्द्र कुमार सिंह	इन्दौर	सतना	सतना	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अरूण कुमार सिंह (जूनियर) के स्थान पर.
55	श्री मनोज कुमार शर्मा	भोपाल	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उज्जैन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
56	श्री साबिर अहमद खान	कन्नौद	भोपाल	भोपाल	अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
57	श्री रूपेश कुमार गुप्ता	गुना	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
58	श्री कमलेश कुमार इटावडिया	जोबट	तराना	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री एन. एस. लावरिया के स्थान पर.
59	श्री सुरेन्द्र मेश्राम	डिण्डौरी	पिपरिया	होशंगाबाद	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60	श्री खालिद मोहतरम अहमद	जयसिंहनगर	भोपाल	भोपाल	उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
61	श्री ओमप्रकाश बोहरा	इन्दौर	नागदा	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री विक्रम सिंह बुले के स्थान पर.
62	श्री मोहम्मद अनीस खान	लहार	सेवड़ा	दतिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री मुकेश कुमार बाथम के स्थान पर.
63	श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया	मुरैना	शयोपुर	शयोपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अशोक गुप्ता के स्थान पर.
64	श्री प्रह्लाद सिंह केमेथिया	ब्यावरा	सुसनेर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त स्थान में.
65	श्री हरप्रसाद बंशकार	आरोन	मण्डला	मण्डला	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री टी. एस. अजमानी के स्थान पर.
66	श्रीमती सुशीला वर्मा	जबलपुर	हटा	दमोह	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री रघुवीर प्रसाद पटेल के स्थान पर.
67	श्री सुनील कुमार शोक	गौहरगंज	बैरसिया	भोपाल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैरसिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
68	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) सिक्की		बरेली	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री विवेक सिंह रघुवंशी के स्थान पर.
69	श्रीमती अर्चना सिंह	भोपाल	सीहोर	सीहोर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्रीमती नोरिन निगम के स्थान पर.
70	श्री रामप्रकाश कतरोलिया	ग्वालियर	आरोन	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री हरप्रसाद बंशकार के स्थान पर.
71	श्री राजकुमार यादव	जबलपुर	नरसिंहगढ़	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री देवीलाल सोनिया के स्थान पर.
72	श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव	जबलपुर	बदनावर	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अजय कुमार टेलर के स्थान पर.
73	श्री उदय सिंह मरावी	इन्दौर	जयसिंहनगर	शहडोल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री खालिद मोहतरम अहमद के स्थान पर.
74	श्री कंचन सक्सेना	चाचौड़ा	भोपाल	भोपाल	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 381-गोपनीय-2013-दो-3-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के पद पर होने के फलस्वरूप व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/- उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी (जून.)	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
2	श्रीमती संगीता यादव	सीधी	सीधी	सीधी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, होशंगाबाद के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
4	श्री अभिषेक गौड़	नीमच	नीमच	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नीमच के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
5	श्रीमती नीलम मिश्रा	बण्डा	बण्डा	सागर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
6	श्री अशोक भारद्वाज	जतारा	जतारा	टीकमगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जतारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
7	श्री धनेन्द्र सिंह परमार	गुना	गुना	गुना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती निशा गुप्ता के स्थान पर.
8	श्री संजय अग्रवाल	श्योपुर	चाचौड़ा	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, चाचौड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री कंचन सक्सेना के स्थान पर.
9	श्रीमती आरती आर्य दुबे	सीहोर	सीहोर	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा	राघोगढ़	राघोगढ़	गुना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, राघोगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
11	श्री आदेश कुमार जैन	बागली	बागली	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान के स्थान पर.
12	श्री मनीष शर्मा	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती कविता वर्मा के स्थान पर.
13	श्री किशोर कुमार मिश्रा	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री सुधीर कुमार के स्थान पर.
14	श्री रवि झारोला	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शाजापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अशोक कुमार शर्मा (जून.-2) के स्थान पर.
15	श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	बीसवीं व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
16	श्री राजेश सिंह	त्योंथर	त्योंथर	रीवा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
17	कु. सोनल चौरसिया	दमोह	दमोह	दमोह	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, दमोह के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
18	श्री पंकज यादव	सिवनी मालवा	गाडरवारा	नरसिंहपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री नरसिंह बघेल के स्थान पर.
19	श्री मोहम्मद अरशद	सतना	सतना	सतना	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
20	श्री आशुतोष अग्रवाल	सिहोरा	सिहोरा	जबलपुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिहोरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
21	श्री राकेश बंसल	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर.पी. कतरौलिया के स्थान पर.
22	कु. शिप्रा पटेल	बैढ़न	सिंगरौली (मुख्यालय बैढ़न)	सिंगरौली (मुख्यालय बैढ़न)	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिंगरौली (मुख्यालय बैढ़न) के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री माखनलाल झोड़ के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	श्री नीरज कुमार शर्मा	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
24	श्री रवि प्रकाश जैन	अशोकनगर	भांडेर	दतिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री एन.एस. मीणा के स्थान पर.
25	श्री आनन्द गौतम	मुंगावली	मुंगावली	अशोकनगर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री गिरीश दीक्षित के स्थान पर.
26	कु. प्रतिष्ठा अवस्थी	जोरा	जोरा	मुरैना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री अरविंद रघुवंशी के स्थान पर.
27	कु. विनीता भटनागर	खरगोन	खरगोन	मण्डलेश्वर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
28	डा. धर्मेन्द्र कुमार टाडा	सैलाना	सैलाना	रतलाम	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सैलाना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
29	श्री मनोज कुमार सिंह	सिरमौर	सिरमौर	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
30	श्री विवेक पटेल	रीवा	रीवा	रीवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
31	श्रीमती सिद्धी मिश्रा	नागौद	नागौद	सतना	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
32	श्री प्रवीण शिवहरे	हरदा	हरदा	हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, हरदा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
33	श्री विजय कुमार शर्मा	गौहरगंज	गौहरगंज	रायसेन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री लाला राम मीणा के स्थान पर.
34	श्रीमती ज्योति मिश्रा	भोपाल	भोपाल	भोपाल	बीसवीं व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
35	श्री कैलाश नारायण अहिरवार	चन्देरी	चन्देरी	अशोकनगर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री दिलीप गुप्ता के स्थान पर.
36	श्री वन्दन मेहता	सीहोर	सीहोर	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	कु. श्वेता गोयल	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
38	श्री प्रवीण पटेल	सागर	सागर	सागर	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री बलराम गुप्ता के स्थान पर.
39	श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल	बासौदा	बासौदा	विदिशा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बासौदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
40	श्री प्रदीप कुमार दुबे	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छतरपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
41	श्री अहमद रजा	दमोह	दमोह	दमोह	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
42	श्री हरिओम अतलसिया	उज्जैन	थांदला	झाबुआ	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री जे.सी. राठौर के स्थान पर.
43	श्री आलोक मिश्रा	भोपाल	भोपाल	भोपाल	इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
44	श्री हेमन्त कुमार यादव	सुसनेर	सुसनेर	शाजापुर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सुसनेर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
45	श्री इरशाद अहमद	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री राजेन्द्र चौरसिया के स्थान पर.
46	श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया	आलोट	आलोट	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रतलाम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान आलोट, जिला रतलाम की हैसियत से.
47	श्री संजय कुमार साही	सागर	सागर	सागर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री रामजी गुप्ता के स्थान पर.
48	कु. रश्मीना परवेज मंसूरी	बड़नगर	बड़नगर	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बड़नगर के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
49	श्री मनीष सिंह ठाकुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	श्री संजय कुमार गुप्ता (जूनि.)	हरसूद	हरसूद	खण्डवा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
51	श्री नीलेश यादव	गरोठ	जावरा	रतलाम	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
52	श्री हेमन्त कुमार रघुवंशी	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर.
53	श्री किशोर कुमार गेहलोत	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
54	श्री अनिल कुमार साहू	कटंगी	कटंगी	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान कटंगी, जिला बालाघाट की हैसियत से.
55	डॉ. कु. महजबीं खान	विदिशा	विदिशा	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, विदिशा के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
56	श्रीमती सोनल पटेल	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शाजापुर के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती मनीषा बसेर के स्थान पर.
57	श्री भगवानदास राठौर	लहार	लहार	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री जी.सी. शर्मा के स्थान पर.
58	श्री अब्दुल कदीर मंसूरी	ग्वालियर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री सूर सिंह कन्नौज के स्थान पर.
59	श्रीमती रमा जयंत मित्तल	भोपाल	भोपाल	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
60	श्री चन्द्र शेखर जयसवाल	पोहरी	पोहरी	शिवपुरी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री तनवीर अहमद खान के स्थान पर.
61	श्री हर्ष सिंह बहरावत	ब्यावरा	ब्यावरा	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
62	श्री दिनेश देवड़ा	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
63	श्री अमजद अली	भोपाल	भोपाल	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64	श्री उत्तम कुमार डार्वी	नीमच	नीमच	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, नीमच के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
65	श्री निरंजन कुमार पांचाल	इछावर	इछावर	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान इछावर, जिला सीहोर की हैसियत से.
66	श्री संदीप कुमार पाटिल	लखनादौन	लखनादौन	सिवनी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, लखनादौन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
67	श्री आदित्य रावत	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री रतन कुमार वर्मा के स्थान पर.
68	श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा	शहडोल	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
69	श्री विनोद कुमार पाटीदार	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
70	श्री मातादीन रजक	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भिण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
71	श्री सूरज सिंह राठौर	भीकनगांव	हरसूद	खण्डवा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, हरसूद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
72	श्री शिवलाल केवट	बैढ़न	बैढ़न	सिंगरौली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
73	श्रीमती उषा तिवारी बेड़िया	भोपाल	रायसेन	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे के स्थान पर.
74	श्री नीरज मालवीय	कन्नौद	कन्नौद	देवास	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री साबिर अहमद खान के स्थान पर.
75	श्री राधा किशन मालवीय	भोपाल	भोपाल	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
76	कु. पद्मा जाटव	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश कुमार शर्मा के स्थान पर.
77	श्री भूपेन्द्र नक्वाल	मन्दसौर	सारंगपुर	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री तरुण राकेश स्टेन्डली के स्थान पर.
78	श्री आनन्द जाम्भूलकर	बैतूल	बैतूल	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
79	श्री महेश कुमार चौहान	पेटलावद	पेटलावद	झाबुआ	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पेटलावद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
80	श्री विवेक कुमार चन्देल	रतलाम	रतलाम	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रतलाम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
81	श्री राजेन्द्र देवड़ा	सीतामऊ	अलीराजपुर	अलीराजपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री सुनील मालवीय के स्थान पर.
82	श्री अनिल दन्देलिया	सौंसर	सौंसर	छिंदवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
83	श्री संतोष चौहान	जीरापुर	सीतामऊ	मन्दसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री लीलाधर सोलंकी के स्थान पर.

क्र. 382-गोपनीय-2013-दो-3-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, प्रतिनियुक्ति पर पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर एवं मंदसौर के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु अनुसंशित न्यायिक अधिकारियों क्रमशः श्रीमती नीलम शुक्ला एवं श्री सुशील कुमार जोशी को उनके प्रतिनियुक्ति के पद पर पदस्थापना की तिथि से व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/- उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से औपचारिक रूप से पदस्थ करता है.

क्र. 384-गोपनीय-2013-II-2-88-2006.— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानान्तरित कर, स्तम्भ (6) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती किरण बाला पाठक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सतना.	सतना	सीधी	सीधी	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	श्री साहेब राव चारे, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, बालाघाट.	बालाघाट	सतना	सतना	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सतना की हैसियत से श्रीमती किरण बाला पाठक के स्थान पर.
3	श्री सचिन कुमार विजयवर्गीय, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जबलपुर.	जबलपुर	देवास	देवास	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देवास की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार बाथम के स्थान पर.
4	श्री रविकांत स्वर्णकार, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर.	इन्दौर	खण्डवा	खण्डवा	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा की हैसियत से श्री आत्माराम खेरिया के स्थान पर.
5	श्री आत्माराम खेरिया, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा.	खण्डवा	जबलपुर	जबलपुर	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से श्री सचिन कुमार विजयवर्गीय के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 391-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.	रतलाम	बैतूल	बैतूल	सिविल जिला, बैतूल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

टिप्पणी.— रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 354/गोपनीय/2013/दो-2-1/2013 (भाग-ए), दिनांक 21 मार्च 2013, जहां तक इसका संबंध श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम का, रतलाम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के पद पर, स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 403-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये

अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा, चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर.	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर की हैसियत से श्री मनोज कुमार लढ़िया के स्थान पर.
2	श्री मनोज कुमार लढ़िया, अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर.	चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इन्दौर की हैसियत से श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 443-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नामों के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के जिले का नाम (5)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
1	श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा.	खण्डवा	ग्वालियर	ग्वालियर	सिविल जिला, ग्वालियर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर की हैसियत से.
2	श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल.	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सिविल जिला, बैतूल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल की हैसियत से.

नोट.—(1) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 316-गोपनीय-2013, दिनांक 13 मार्च 2013, जहां तक इसका संबंध श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा का खण्डवा से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर के पद पर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 395-गोपनीय-2013, दिनांक 25 मार्च 2013, के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित. वे रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 354/गोपनीय/2013, दिनांक 21 मार्च 2013 के पालन में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के पद पर दिनांक 8 अप्रैल 2013 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें.

क्र. 445-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री रमाकांत दुबे, रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्त से लौटने पर.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	सिविल जिला, भोपाल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

क्र. 449-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री बलराज कुमार पालौदा	उज्जैन	इन्दौर	इन्दौर	बाईसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
2	श्री गंगाचरण दुबे	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी) की हैसियत से.

नोट.—(1) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 377-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-ए), दिनांक 22 मार्च 2013, जहां तक इसका संबंध श्री बलराज कुमार पालौदा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उज्जैन का, उज्जैन से प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खण्डवा के पद पर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.